मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

1. **(*क्र. 545) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत जलसंसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनेक स्थलों का सर्वे कार्य सम्पन्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्राक्कलन प्रस्तुत किये है, क्या उसमें कुछ योजनाएँ जलसंसाधन विभाग की ओर से साध्यता की सूची में भी दर्शाई गई है ? जैसे पार्वती नदी सेमलापार बैराज, सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज, लसूल्डियागुर्जर बैराज, कालियादेह तालाब, लुहारी तालाब, सोनकच्छ तालाब व कुण्ड़ीखेड़ा तालाब, जामी तालाब, खेजड़ामहाराजा तालाब आदि साथ ही संभागीय कार्यालय नरसिंहगढ़ से भी कुछ योजनाऐं साध्यता हेतु शासन को प्रस्तुत की गई है ? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त साध्यता प्राप्त परियोजनाओं में से क्या आगामी वार्षिक बजट में वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जावेगी ? विशेषकर पार्वती नदी पर सेमलापार बैराज जो कम लागत में लगभग 600 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता निर्मित करता है, को विशेष प्रकरण मानकर स्वीकृति दी जाएगी तथा इसी प्रकार सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ? (ग) उपरोक्त सहित क्या सभी लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वर्तमान बजट सत्र में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में पार्वती नदी पर सेमलापार बैराज, सूकड़ नदी पर भोजपुरिया बैराज, लसूडियागुर्जर बैराज, कलियादेह तालाब, लुहारी तालाब, सोनकच्छ तालाब व कुण्डीखेड़ा तालाब, जामी तालाब, खेजड़ा महाराजा तालाब परियोजनाएं सर्वेक्षित हैं । (ख) एवं (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है ।

पावर प्लांट हेतु भूमि का अधिग्रहण

2. **(*क्र. 2) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत- डभौरा में पावर प्लांट स्थापित कराने के उद्देश्य से कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गई है ? यदि हाँ, तो किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहीत की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क)

के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल में पावर प्लांट स्थापित किये जाने की क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो कब तक पावर प्लांट का कार्य शुरू कर दिया जायेगा एवं कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कलेक्टर रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा कोई भी भूमि राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित नहीं की गई है । किन्तु प्रासपेरस एनर्जी लिमिटेड द्वारा बेणूगोपाल धूत पिता नन्दगोपाल धूत, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं मेसर्स एक्सेल पोमिन लिमिटेड नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा, रजिस्टर्ड से विक्रय पत्र कृषकों से भूमि क्रय की गई है जिसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है । (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल में पावर प्लांट स्थापित किये जाने बाबत् निम्न कंपनियों से माह अक्टूबर, 2010 में म.प्र. शासन के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं :- 1. मे. अभिजीत वेंचर लिमिटेड (एस. पी.वी. एक्सेल पाउमिन लिमिटेड) नागपुर 2. मे. विडियोकोन इंडस्ट्री लिमिटेड औरंगाबाद (मे. प्रोसपेरस इनर्जी प्रा. लिमिटेड) । उपरोक्त दोनों कंपनियों द्वारा पावर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु राज्य शासन से क्रियान्वयन अनुबंध आज दिनांक तक हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । उपरोक्त परियोजनायें प्रारंभिक स्तर पर ही होने के कारण वर्तमान में कार्य प्रारंभ/पूर्ण होने की तिथि बताना संभव नहीं है ।

<u>लंबित सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति</u>

3. **(*क्र. 221) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2011 से जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले की कौन-कौन सी सर्वेक्षित सिंचाई योजनायें, बैराज, स्टापडेम किस-किस स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है ? उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ? (ख) उक्त योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें भारत सरकार के पास लंबित है ? उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में उक्त जिलों की कौन-कौन सी योजनाओं का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा कौन-कौन सी निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य अपूर्ण है तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा, समयावधि बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) निरंक । सर्वेक्षित परियोजनाएं असाध्य पाए जाने के कारण स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है । (ख) निरंक । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) सर्वेक्षणाधीन परियोजना संख्या निरंक है । रायसेन जिले में सेमसरी मध्यम परियोजना एवं नगपुरा नगझिरी लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है । देवास जिले में दतूनी मध्यम एवं दुधवास बैराज परियोजना निर्माणाधीन है । मध्यम परियोजनाएं 5 से 7 वर्ष में और लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के वर्ष के उपरांत 2 वर्षो में पूर्ण करने की नीति है । निर्माण कार्य पूर्ण कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वन संबंधी अनुमति भूमि की उपलब्धता तथा निर्माण एजेंसी की क्षमता पर निर्भर होने से पूर्णता के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

उपकोषालय की स्थापना

4. **(*क्र. 710) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के टोंकखुर्द में उपकोषालय निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या वर्तमान में टोंकखुर्द में उपकोषालय स्थापना के विषय में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही चल रही है ? (ग) क्या भविष्य में टोंकखुर्द में उपकोषालय स्थापना के विषय में विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं । टोंकखुर्द में उप कोषालय खोलने का प्रस्ताव लंबित नहीं है । (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । वित्त विभाग के अंतर्गत कोषालयीन कंप्यूटराईजेशन की नई व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है । अत: नवीन उप कोषालय खोलने के सभी प्रस्तावों को स्थगित रखें जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है ।

पत्रों के जवाब न देने उपरांत कार्यवाही

5. **(*क्र. 262) श्री मधु भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 19-76/2007/1-4 दिनांक 17.08.2009 में दिये गये निर्देश लागू हैं तथा प्रत्येक अधिकारी को विधायकों, सांसदों के पत्र की अभिस्वीकृति व बाद में उत्तर देना अनिवार्य है ? (ख) 1 मार्च 2014 से प्रश्न दिनांक तक माननीय विधायक परसवाड़ा ने जिला कलेक्टर, वनमंडल अधिकारी, जिला पंचायत सी.ई.ओ., कानून विभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महाप्रबंधक सड़क विकास प्राधिकरण कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को कितने पत्र लिखे तथा इन्होनें कितने पत्र का जवाब दिया ? (ग) प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर तथा प्रश्नांश (ख) में दी गयी जानकारी के आधार पर क्या सामान्य प्रशासन विभाग के किस नियम का उल्लंघन हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक और क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ (ख) 01 मार्च 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल 47 पत्र प्राप्त हुए, सभी पत्रों के जवाब संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित किये गये । (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

डूब प्रभावितों का विस्थापन

6. **(*क्र. 313) श्री संजय पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि (बॉणसागर डूब क्षेत्र भू-अर्जन यूनिट क्र. 1) कटनी जिले के तहसील विजयराघवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरी से इसके आश्रित ग्राम चौरा कनेरा का संपर्क बॉणसागर परियोजना के जल भराव के कारण कट गया है ? (ख) क्या यह सही है कि विगत कई

वर्षों से उक्त दोनों ग्रामों की जनता खाद्यान्न एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है तथा बीमार व्यक्ति चिकित्सालय नहीं पहुँच पाते इसके लिए कौन दोषी है ? (ग) प्रश्नांश (क) ग्रामों को प्रश्न दिनांक तक विस्थापित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या दोनों ग्रामों को विस्थापित किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? (घ) क्या तत्कालिक सहायता हेतु ग्राम चौरी से चौरा कनेरा मार्ग पर पुल निर्माण कर आवागमन बहाल किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बाणसागर जलाशय पूर्ण स्तर तक भरने पर कुछ समय के लिए ग्राम चौरी एवं चौरा कनेरा मार्ग का संपर्क जलाशय के बेक वाटर से अवरूद्ध हो जाता है । (ख) जी नहीं, वर्षाकाल में वैकल्पिक व्यवस्था है । (ग) मार्ग डूब में आने के कारण आबादी का विस्थापन किया जाना शासन की नीति नहीं होने के कारण । जी नहीं । आबादी डूब क्षेत्र में नहीं होने के कारण । (घ) वर्षा ऋतु के पूर्व पुलिया निर्माण कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

रेत की कीमत तय करने के नियम/मापदण्ड

7. **(*क्र. 562) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रेत की कीमत तय करने के क्या-क्या नियम/मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये गये है ? वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 में क्या-क्या नियम/मापदण्ड निर्धारित थे ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में रेत की कीमत बढ जाने एवं अवैध उत्खनन/परिवहन के कितने प्रकरण वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 15 प्रश्न तिथि तक शासन/जिला प्रशासनों के समक्ष आये ? प्रकरणवार चम्बल संभाग की जानकारी दें ? (ग) (ख) के संदर्भ में यह भी बताएं कि क्या यह सत्य है कि रेत के अवैध उत्खनन कर्ताओं के द्वारा शासकीय अमले पर वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 15 प्रश्न तिथि तक हमले भी किये गये ? अगर हाँ तो किस-किस स्थान पर एवं कब-कब ? (घ) क्या कार्यवाही राज्य शासन/जिला प्रशासनों के द्वारा उक्त हमलावरों के विरूद्ध कब-कब की गई ? प्रकरणवार चम्बल संभाग की घटनावार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रेत की कीमत तय करने हेतु कोई नियम / मापदण्ड निर्धारित किए जाने के प्रावधान खनिज नियमों में नहीं हैं । अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों की मुरैना जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में**, श्योपुर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ-1' में** तथा भिण्ड जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ-2' में दर्शित है** । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा शासकीय अमले पर किए गए हमले की मुरैना जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में,** भिण्ड जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब-1' में दर्शित है**, जिसमें स्थान एवं घटना दिनांक का विवरण अंकित है । श्योपुर जिले में दिनांक 27.08.2014 को ग्राम बालापुर थाना मानपुर के पास सीप नदी के पुल पर शासकीय अमले पर

हमला किया गया था । हमलावरों के खिलाफ थाना मानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही दर्ज कराई गई तथा पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण जिला न्यायालय में विचाराधीन है । (घ) वांछित जानकारी प्रश्नांश 'ग' के उत्तर में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्टों में दर्शित है** ।

अवैध उत्खनन एवं परिवहन

8. **(*क्र. 493) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में रेत, पत्थर एवं मुरम की कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी खदानें हैं ? जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार बतायें ? (ख) खनिज विभाग सागर को 1 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2015 तक मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनायी गयी सड़क एवं शासकीय भवनों में उपयोग की गयी रेत, पत्थर एवं मुरम से रॉयल्टी के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? अलग-अलग बतावें ? (ग) खनिज विभाग सागर के द्वारा 1 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2015 तक रेत, पत्थर एवं मुरम के अवैध उत्खनन के एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये ? किस-किस के विरूद्ध और कब-कब ये प्रकरण पंजीयत हुये हैं ? जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार अलग-अलग दी जाये ? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों में कब-कब, किस-किस के विरूद्ध और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों ? कारण बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' एवं 'द' में दर्शित है** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' में उल्लेखित है** । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विद्युत कम्पनी द्वारा ली जा रही सुरक्षा निधि

9. **(*क्र. 448) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि के नाम पर विद्युत देयकों में किश्त राशि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है ? (ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा निधि राशि किस आधार पर विद्युत उपभोक्ता से कब-कब प्राप्त की जाती है व विद्युत कम्पनी द्वारा इस राशि को प्राप्त किये जाने का क्या मापदण्ड हैं ? (ग) प्रश्न (क) अनुसार विद्युत देयक में प्राप्त की जाने वाली सुरक्षा निधि का उपयोग विद्युत कम्पनी द्वारा किस कार्य में किया जाता है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (आर जी 17 (1) /वर्ष 2009) के प्रावधानानुसार विद्यमान उपभोक्ताओं की विगत वित्तीय वर्ष की खपत के आधार पर प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में सुरक्षा निधि

की गणना की जाती है । पुनरीक्षित गणना के अनुसार यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि लेना निकलती है तो आगामी तीन विद्युत देयकों में किश्त के रूप में उक्त अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि उपभोक्ता से प्राप्त की जाती है । यदि उक्तानुसार गणना की गई पुनरीक्षित सुरक्षा निधि की राशि पूर्व से जमा सुरक्षा निधि से कम होती है तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयकों में समायोजित कर दी जाती है । नवीन उपभोक्ताओं से भी सुरक्षा निधि की राशि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी-17 (1) वर्ष 2009) के प्रावधानों के अनुसार जमा कराई जाती है । (ग) सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग विद्युत कंपनी की कार्यशील पूंजी (वर्किंग केपिटल) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है ।

तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना

10. **(*क्र. 256) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत करेली नाला तालाब निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूर्ण होना था, परन्तु वन विभाग की अनुमति के पश्चात भी अधूरा है ? तालाब स्वीकृति पश्चात वन विभाग की अनुमति के लिये कार्य बंद किया गया, जबकि वन विभाग का क्षेत्रफल मात्र 15.183 है. था, शेषभूमि पर कार्य क्यों नहीं किया गया ? (ख) कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होने से समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने के लिये दोषी संबंधित ठेकेदार या विभाग पर कोई कार्यवाही या पेनल्टी निर्धारित होगी ? यह कार्य कब पूर्ण होगा ? (ग) सभी निर्वाचित सदस्यों को शासन द्वारा मानदेय दिया जाता है, किन्तु जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों/अध्यक्ष को मानदेय नहीं दिया जाता है ? क्या शासन द्वारा मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य स्वीकृति के वर्ष को छोड़कर 2 वर्षो में पूर्ण कराया जाना अपेक्षित होता है । करेली नाला परियोजना निर्माणाधीन है । परियोजना निर्माण के लिए वनभूमि के उपयोग की अनुमति आवश्यक होने के कारण । (ख) वन भूमि के उपयोग की अनुमति भारत सरकार से दिनांक 31-03-2014 को प्राप्त होने के परिपेक्ष्य में निर्माण कार्य की गति धीमी नहीं है । निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाना लक्षित है । (ग) जल उपभोक्ता समिति का स्वरूप स्वयंसेवा समूह का होने से मानदेय का औचित्य नहीं है ।

पेट्रोल, डीजल एवं सिगरेट पर वेट टैक्स की दर

11. **(*क्र. 529) श्री बाला बच्चन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-2012 से 20-01-2015 तक पेट्रोल, डीजल, LPG गैस एवं सिगरेट पर वेट किस प्रतिशत दर से लागू किया गया ? इनसे कितनी आय अनुमानित थी एवं इसके समक्ष कितनी

आय प्राप्त हुई ? माहवार, वर्षवार बताएं ? (ख) क्या यह सच है कि पेट्रोल, डीजल पर वेट बढ़ाने से इनकी आय में कमी आई है ? यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) क्या पेट्रोल, डीजल पर शिक्षा उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । विभाग द्वारा वस्तुवार आय का अनुमान नहीं किया जाता है । मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 में विहित प्रारूप में प्रस्तुत विवरण पत्रों में कर देयता के संबंध में वस्तुवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है । (ख) पेट्रोल, डीजल पर वेट बढाने से इनकी आय में कमी नहीं आई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जीं नहीं ।

परिशिष्ट - "एक"

खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही

12. **(*क्र. 375) श्री आरिफ अकील :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डारण, रॉयल्टी चोरी एवं परिवहन के प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं ? (ख) यदि हाँ, तो कितने वाहन स्वामियों के वाहनों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, तथा कितने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार जिलेवार बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) वांछित जानकारी वर्षवार, जिलेवार **संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है** ।

परिशिष्ट - "दो"

राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्य की जानकारी

13. **(*क्र. 464) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य प्रदेश में किस-किस जिले में सम्पादित किया जा रहा है ? जिलेवार कार्य कर रही निविदाकार फर्मों के नाम बतावें ? जिलेवार पूर्ण किये गये कार्यों का निम्नानुसार विवरण बतावें :- (अ) ग्रामों की संख्या (ब) 11 के.व्ही. लाईन की मात्रा किलोमीटर में (स) वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या (द) निम्नदाब लाईन की मात्रा किलोमीटर में (इ) बीपीएल हितग्राहियों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों की संख्या (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कितना कार्य अभी तक कराया जा चुका है ? ग्रामवार कराए गए कार्य का विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी 51 जिलों में कार्य किया जा रहा है । निविदाकार फर्मों के नाम एवं उनके द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की जिलेवार वांछित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 140 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर 2519 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये हैं । ग्रामवार पूर्ण किये गये कार्य का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** ।

शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में संचालित संकाय

14. **(*क्र. 510) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में विज्ञान, वाणिज्य संकाय का संचालन कब होगा ? (ख) क्या आदिवासी क्षेत्र में छात्र/छात्राओं के शिक्षा के लिये विभाग प्रस्ताव/अनुशंसा के बाद भी संकाय हेतु स्वीकृति नहीं दे रहा है ? (ग) क्या शासन छात्र/छात्राओं को उच्चशिक्षा के लाभ हेतु प्रश्नांश (क) वर्णित संकायों के संचालन का प्रयास करेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में नवीन विज्ञान, वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जाने की कोई योजना नहीं है । (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बागेडी नदी पर प्रस्तावित डेम की साध्यता रिपोर्ट

15. **(*क्र. 10) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बागेडी नदी पर प्रस्तावित स्टॉपडेम, ग्राम भीकमपुर बागेडी, चंदबासला एवं श्रीबच्छ के पास की वर्तमान में साध्यता रिर्पोट की क्या स्थिति हैं ? (ख) ग्राम बाचाखेड़ी, सकत खेड़ी एवं दिवेल में प्रस्तावित तालाब के लिए शासन की क्या योजना हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) चिन्हित स्थान भिकमपुर पर स्टापडेम का निर्माण तकनीकी मापदण्डों पर असाध्य पाया गया है । श्रीबच्छ स्टापडेम की साध्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । चिन्हित स्टापडेम बागेड़ी एवं चंदलवासा की साध्यता स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सुनिश्चितता नहीं होने से जारी की जाना संभव नहीं हो सका है । (ख) वर्तमान में प्रश्नाधीन परियोजनाएं स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं है ।

फीडर सेपरेशन के कार्य

16. **(*क्र. 85) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने फीडरों का सेपरेशन करने का कार्यादेश ज्योति कन्स्ट्रक्शन कंपनी को किस दिनांक को जारी किया गया है तथा कितनी अवधि कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई थी ? (ख) क्या यह सही है कि ज्योति कंपनी को 62 फीडरों के सेपरेशन का कार्य सौपा गया था, जिसमें से केवल 14 फीडरों का कार्य पूर्ण हुआ है, शेष का नहीं ? शेष फीडरों का कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा ? समय-सीमा बतायें ? (ग) क्या यह सही है कि सेपरेशन फीडर एवं लाईन हेतु लगाये जा रहे पोल (खम्बे) गाड़ने में घटिया स्तर का कार्य कंपनी द्वारा किया गया है, जिससे कई स्थानों पर पोल टेड़े हो गये है, तथा गिर गये है ? (घ) क्या उक्त कार्य की जांच कराई गई है, यदि हाँ, तो दोषी कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं कराई गई है, तो कब तक जांच कराई जावेगी ? समय-सीमा बतावें ? (ड.) ज्योति कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कार्यादेश जारी दिनांक से वर्तमान तक कितने ट्रान्सफार्मर लगाये गये तथा कितने खराब हुये ? क्या स्थापित किये जाने वाले ट्रान्सफार्मर घटिया किस्म के होने से बार-बार खराब हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या ट्रान्सफार्मरों की जांच करायेंगे, समय-सीमा बतायें ? (च) वर्तमान में ज्योति कंपनी में कितने ट्रान्सफार्मर खराब हैं, उन्हें कब तक बदला जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत ग्वालियर जिले में 115 नंबर 11 के.व्ही.फीडरों, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 42 फीडर भी शामिल हैं, को विभक्त किये जाने का कार्यादेश मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 09.08.11 को जारी किया गया था । जारी कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की प्रभावी दिनांक 20.08.11 थी एवं 18 माह (दिनांक 20.2.13 तक) कार्य पूर्ण किये जाने थे । (ख) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड को 42 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य दिया गया था, जिसमें से उक्त कंपनी द्वारा 14 फीडरों का कार्य पूर्ण किया गया है । शेष फीडरों का कार्य पूर्ण करने हेतु मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है एवं उक्त कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है । (ग) जी नहीं, तथापि उक्त योजना में किये जा रहे कार्यों के निरीक्षण हेतु नियुक्त थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियाँ का निराकरण टर्न-की ठेकेदार एजेंसी से कराया जाता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है । (घ) प्रश्नाधीन योजना के क्रियान्वयन एवं कार्य की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु ग्वालियर जिले के लिये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सल्टेन्ट मेसर्स आई.सी.टी., नई दिल्ली एवं मेसर्स मेधाज टेक्नो, कान्सेप्ट प्रा.लि.लखनऊ को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया है । इनके द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता में कमी अथवा त्रुटि पाए जाने पर, उसके निराकरण हेतु तत्काल मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लि. को सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद ही किये गये कार्य को मान्य करते हुए ठेकेदार कंपनी को भुगतान किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार

कंपनी के विरूद्ध कोई अन्य जांच किया जाना प्रस्तावित नहीं है । (ड.) मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई द्वारा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें से म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिग्रहित किये गये 12 फीडरों पर स्थापित 150 वितरण ट्रांसफार्मरों में से अभी तक कुल 79 वितरण ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं । टर्न-की ठेकेदार से किये गये अनुबंध के अनुसार योजना के अन्तर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मरों की सेंपल टेस्टिंग एन.ए.बी.एल. द्वारा अभिप्रमाणित प्रयोगशाला/सी.पी.आर.आई. में कराई जाती है तथा गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पाए जाने पर ही ट्रांसफार्मर उपयोग किये जाते हैं । उक्त निर्धारित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं है । (च) उत्तरांश (ड.) में दर्शाए गए 79 फेल वितरण ट्रांसफार्मरों में से अद्यतन स्थिति में 58 ट्रांसफार्मर मे.ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बदल दिये गये हैं, संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष हैं । बदलने हेतु उक्त शेष 21 ट्रांसफार्मरो के विरूद्ध टर्न-की ठेकेदार कंपनी द्वारा 10 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा शेष 11 ट्रांसफार्मर भी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है । फेल ट्रांसफार्मरों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा कराए जाने पर उक्त ट्रांसफार्मर बदल दिये जाएंगे, जिस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>छुहिया घाटी पहाड़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन</u>

17. **(*क्र. 552) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिलान्तर्गत छुहिया घाटी पहाड़ क्षेत्र में वर्तमान में किस-किस को कितने-कितने क्षेत्र में खनन/अनुमतियाँ प्राप्त हैं तथा अब तक अनुज्ञप्तिधारियों ने कितना-कितना खनन किस क्षेत्र में किया है ? (ख) क्या उक्त क्षेत्र में दी गई खनिज अनुमतियों के सम्बंध में सक्षम पर्यावरणीय अनुमतियाँ/सम्मतियाँ प्राप्त की गई हैं ? (ग) विभाग द्वारा इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिए अब तक क्या-क्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है ? किन-किन अधिकारियों ने उत्खनन क्षेत्र का विगत एक वर्ष में निरीक्षण किया है ? (घ) क्या यह सही नहीं है कि जे. पी. सीमेंट वघवार (सीधी) द्वारा इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर पूरी छुहिया घाटी को समाप्त किया जा रहा है ? विभागीय मिलीभगत से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है ? इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन छुहिया घाटी पहाड़ क्षेत्र में खनन हेतु कोई भी अनुमतियां प्रदान नहीं की गई है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) प्रश्नांश "क" में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । विगत 01 वर्ष में क्षेत्र की जांच जिले में पदस्थ खनिज विभाग के अमले द्वारा की गई है । (घ) जी नहीं । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विद्युत दुर्घटना में दिया गया मुआवजा

18. **(*क्र. 360) डॉ. मोहन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2014 तक उज्जैन शहर में विद्युत दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों की नाम सहित जानकारी देवें ? विद्युत दुर्घटना के कारण मरने वाले पीडित पक्ष को विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया ? (ख) सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए जिन व्यस्ततम रिहायशी इलाकों से विद्युत लाईने गुजर रही है, उन्हें भूमिगत करने के संबंध में क्या कोई कार्य किया जा रहा है, यदि नहीं, तो आगामी सिंहस्थ के समय आम नागरिकों को विद्युत तारों के कारण होने वाले हादसों से बचाने के लिये क्या योजना प्रस्तावित है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2014 तक उज्जैन शहर में विद्युत दुर्घटना से मरने वाले व्यक्तियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में विभाग/वितरण कंपनी द्वारा मुआवजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के दृष्टिगत, कतिपय प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत, न्यायालयीन आदेश, मानव अधिकार आयोग के आदेश एवं राजस्व पुस्तिका परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के प्रावधानों में परिप्रेक्ष्य में यथासंभव अनुदान राशि प्रदान की जाती है । (ख) जी नहीं, विद्युत लाईनों को भूमिगत करने के संबंध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं हैं तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार उज्जैन शहर में अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत लाईनों के तारों की किसी भी निर्माण, बिल्डिंग एवं भूमि से न्यूनतम सुरक्षित क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर दूरी सुनिश्चित की गई है । साथ ही सुरक्षा संबंधी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सिंहस्थ-मेला क्षेत्रांतर्गत अस्थाई तौर पर निर्मित की जाने वाली निम्नदाब लाईनों का निर्माण खुले तारों के स्थान पर शिरोपरि (ओवरहेड) केबल के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट - "तीन"

विदेश अध्ययन पर गए आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी

19. **(*क्र. 322) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में पदस्थ कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी विदेश प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे पर सरकारी व्यय पर गए ? नामवार, सरकारी व्यय एवं उक्त देशों की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) विदेश गए इन अधिकारियों ने किन-किन विषयों पर कहाँ- कहाँ प्रशिक्षण एवं अध्ययन प्राप्त किया ? (ग) क्या इन अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षण एवं अध्ययन के अनुसार संबंधित विभागों में नियुक्त किया ? (घ) क्या उक्त प्रशिक्षण एवं अध्ययन से प्रदेश को लाभ मिला ? अगर हाँ, तो क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>प्रदेश में कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि पर कर</u>

20. **(*क्र. 476) श्री रामनिवास रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस सिलेण्डर प्रति यूनिट उत्पादन कंपनियों से म.प्र. को मूल रूप से किस दर पर प्राप्त होते हैं ? पेट्रोल, कैरोसिन एवं डीजल की दर प्रति लीटर एवं रसोई गैस सिलेण्डर की दर प्रति सिलेण्डर में मूल रूप से प्राप्त होने की दर एवं प्रदेश में लगने वाले विभिन्न टैक्स उपरांत विक्रय की दर बतावें ? (ख) वर्तमान में म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस पर कौन-कौन से टैक्स किस-किस दर पर लगाए जा रहे हैं ? पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली में इन उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैक्सों की जानकारी म.प्र. सहित तुलनात्मक विवरण दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में इन उत्पादों पर टैक्स अधिक होने से सीमांत इलाकों में पड़ोसी राज्यों से डीजल, पेट्रोल लाकर प्रदेश में बेचा जा रहा है जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है तथा प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर स्थापित पेट्रोल पम्प बंद होने की कगार पर हैं ? क्या प्रदेश सरकार अन्य पड़ोसी राज्यों के समान उक्त उत्पादों पर लगने वाले टैक्स अनुसार टैक्स की दर निर्धारित करेगी ? (घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से वर्तमान तक प्रश्नांश (क) अनुसार उत्पादों की कितनी-कितनी बिक्री हुई एवं विभिन्न प्रकार के टैक्सों से प्रदेश को कितने रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ ? कृपया माहवार बतावें ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 5.50 रू. प्रति लीटर एवं डीजल पर 6.50 रू. प्रति लीटर बढ़ा देने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने भी वेट कर बढ़ा दिया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस सिलेण्डर प्रति यूनिट उत्पादक/आयात कंपनियों से मध्यप्रदेश को मूल रूप से कितने रूपये प्रति लीटर/सिलेण्डर में प्राप्त हो रहा है तथा उक्त माल प्रति लीटर/सिलेण्डर प्राप्त होने की दर एवं प्रदेश में लगने वाले विभिन्न टैक्स उपरांत की विक्रय की दर, की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग में संधारित नहीं की जाती है । (ख) वर्तमान में मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एवं रसोई गैस पर लगाये जाने वाले टैक्स, की दरों तथा पडोसी राज्यों छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली में इन उत्पादों पर लगाये जाने वाले टैक्स की जानकारी (दूरभाष एवं इंटरनेट से प्राप्त जानकारी अनुसार) मध्यप्रदेश सहित तुलनात्मक रूप से **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) प्रदेश के सीमांत इलाकों में पडोसी राज्यों से डीजल, पेट्रोल लाकर प्रदेश में बेचे जाने का कोई प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं आया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से वर्तमान तक प्रश्नांश (क) के अनुसार उत्पादों की कितनी-कितनी बिक्री हुई एवं विभिन्न प्रकार के टैक्सों से प्रदेश को कितने रूपये का राजस्व प्राप्त

हुआ, की वस्तुवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है । वर्ष 2015 में प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पर कोई वेट नहीं बढाया है ।

परिशिष्ट - "चार"

जिले में निर्मित स्टाप डेम

21. **(*क्र. 330) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्टाप डेम में पानी रोकने के लिए गेट को बंद करने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो यह गेट किसके आदेश से कब बंद किए जाते हैं ? (ख) क्या छतरपुर जिले में ऐसे स्टाप डेम हैं, जिनमें प्रश्न दिनांक तक पानी को रोकने के लिए गेट बंद नहीं किए गए ? यदि हाँ, तो इनकी संख्या बताएं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (ग) क्या जिले के विभिन्न स्थानों पर निर्मित स्टाप डेम में गेट सही समय पर बंद हो इसके लिए कोई निगरानी टीम है ? यदि हाँ, तो इस टीम में कौन-कौन सदस्य रहते हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्षा ऋतु की समाप्ति के समय मैदानी अधिकारी यथा सहायक यंत्री/उपयंत्री द्वारा स्टॉप डेम में पानी रोकने के लिए गेट लगवाने की व्यवस्था है । (ख) एवं (ग) छतरपुर जिले में जल संसाधन विभाग की 4 परियोजनाएं क्रमश: पड़ोरा स्टॉपडेम, श्यामरी स्टॉपडेम, केल एनीकट एवं सिलप एनीकट वियर में गेट है जो लगाए गये हैं । अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है ।

म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में त्रुटि

22. **(*क्र. 24) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 27 जुलाई 2014 को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के संचालन समिति के सदस्यों की सूची उपलबध कराएं ? (ख) प्रश्नांश (क) में आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र समिति के कौन-कौन सदस्य थे, इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रश्न पत्र हेतु व्यवस्था सौंपी गई थी ? प्रश्न पत्र निर्माण के पश्चात् क्या प्रश्न पत्र में त्रुटि हेतु कोई जाँचकर्ता नियुक्त किया जाता है ? यदि हाँ, तो नाम सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश की उक्त दिनांक को आयोजित की प्रमुख एम.पी.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा में 16 प्रश्न गलत होने के कारण इन प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया गया और मात्र 184 अंकों का ही पूर्णांक घोषित किया गया ? यदि हाँ, तो 16 प्रश्नों के त्रुटि के कारणों का उल्लेख करें ? (घ) प्रश्नांश (ग) में 16 प्रश्नों की त्रुटि हेतु कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी है ? क्या उनको दण्डित किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) परीक्षा संचालन हेतु संचालन समिति का गठन नहीं किया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) आयोग में प्रश्न पत्र समिति का गठन नहीं किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । प्रश्न पत्र निर्माण के पश्चात आयोग द्वारा प्रश्न पत्र के मॉडरेशन के लिए विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जो कि प्रश्न पत्र में त्रुटि का निवारण करते हैं । मॉडरेशन हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के नाम गोपनीय हैं । (ग) जी हां । प्रश्नपत्र रचना हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संदर्भ ग्रंथों से प्रश्नों का चयन किया जाता है । कई बार विभिन्न पुस्तकों में एक ही प्रश्न के भिन्न उत्तर उपलब्ध रहते हैं । अत: एक ही प्रश्न के दो उत्तर उपलब्ध होने से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हो जाता है तथा प्रश्न पत्र रचना एवं परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में नये तथ्यों के प्रकाशित होने से पुराना उत्तर त्रुटिपूर्ण हो जाता है । (घ) प्रश्न पत्र में त्रुटि के संबंध में आयोग के अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । प्रश्न पत्रों की रचना/मॉडरेशन आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

प्रदेश में स्वीकृत छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

23. **(*क्र. 581) श्री जितू पटवारी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रदेश में कौन-कौन सी छोटी, मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कहाँ-कहाँ स्वीकृत की गई एवं कब से प्रारंभ हुई है ? (ख) उपरोक्त परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जाना प्रस्तावित थी एवं प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील एवं अन्य की गुणवत्ता, (मार्क ISI, NABL प्रमाणीकरण) हेतु ठेकेदार से कोई अनुबंध किया जाता है ? (घ) क्या यह भी सही है कि बरगी-राजघाट परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं में कम गुणवत्ता वाला अमानक स्तर का (सरिया) स्टील एवं सीमेंट ठेकेदार द्वारा लगाया गया है ? (ड.) यदि परियोजनाओं में सीमेण्ट एवं स्टील खरीदी में अनियमितता हुई है, तो संबंधित ठेकेदार एवं मुख्य अभियंताओं के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1/2/3' अनुसार है** । (ग) निर्माण अनुबंध में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रावधान होते हैं । (घ) एवं (ड.) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

एयरपोर्ट का निर्माण

24. **(*क्र. 199) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है ? यदि हाँ, तो नये भूमि अधिग्रहण तहत किन-किन गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई तथा कितने किसान इस अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में भूमि अधिनियम-2013 के तहत

अधिग्रहित भूमि का अवार्ड कब किस वर्ष में पारित किया गया है ? नये नियम अनुसार शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र अनुसार अवार्ड के संबंध में ग्राम वार जानकारी दें ? (ग) सिंगरौली जिले में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य कब तक में आरंभ किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां । ग्राम- सिंगरौलिया, खजुरी एवं कटौली की भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है । कुल 270 खातेदार प्रभावित होंगे । (ख) दिनांक-2, 3 एवं 5 जनवरी, 2015 को धारा-9 (1) के अन्तर्गत सुनवाई उपरांत अवार्ड सम्बंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ग) अवार्ड पारित होने तथा समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

शासकीय सेवकों का स्थानांतरण

25. **(*क्र. 1007) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कितने अधिकारी पिछले तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं ? (ख) क्या विभागीय नीति अनुसार उक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ रखा जा सकता हैं ? (ग) यदि नहीं, तो उक्त तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण कब तक किया जावेगा ? समय-सीमा बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 05 अधिकारी । (ख) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये विभाग द्वारा दिनांक 1 मई, 2012 को जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.10 में प्रावधान अनुसार तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा । इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है । यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे । वर्क्स एवं रेगुलेटरी विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये । चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं । इसी प्रकार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में विभाग स्वविवेक से निर्णय लेकर स्थानांतरण कर सकता है । आशय यह है कि इन आधारों पर 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानांतरण किये जा सकेगें । (ग) उत्तरांश 'ख' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

अंतलवासा तालाब की संधारण क्षमता

1. **(क्र. 11) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत तहसील खाचरौद में अंतलवासा तालाब के पानी के संधारण की क्षमता क्या है ? क्या तालाब की पाल कमजोर हैं ? जिसके कारण वेस्ट वेयर की ऊँचाई घटाई गई हैं ? यदि हॉ तो पाल की मजबूतीकरण की क्या योजना है ? (ख) अंतलवासा तालाब की नहर को ग्राम कनवास तक करने की शासन की क्या योजना है ? अवगत करावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) अंतलवासा जलाशय की जीवित जल संग्रहण क्षमता 5.8 मिलियन घनमीटर है । जी नहीं, शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है । (ख) परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए आर.आर.आर. योजना के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ।

फीडर सेपरेशन उपकरणों की खराबी

2. **(क्र. 25) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन संभाग में फीडर सेपरेशन के तहत मीटर परिवर्तित कराने के पश्चात् दिनांक से मीटर जलने, अधिक बिल आने, खराब होने की शिकायते प्राप्त हुई जानकारी हैं ? (ख) क्या यह सही है कि उज्जैन राजस्व संभाग में फीडर सेपरेशन के अन्तर्गत लगाये गये मीटर घटिया क्वालिटी के होने की जॉच विभाग के पास लंबित है यदि हां, तो जॉच कब से लंबित हैं, जॉचकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें ?(ग) क्या यह सही है कि उज्जैन राजस्व संभाग के अन्तर्गत फीडर सेपरेशन योजना में लगाये गये मीटर केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में जांच हेतु भेजे गए है? यदि हाँ, तो जॉच रिपोर्ट से अवगत करायें यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या ऊर्जा विभाग घटिया क्वालिटी मीटर खरीदने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार कर रहा है? यदि नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ, उज्जैन राजस्व संभाग में फीडर विभक्तिरण योजना के अन्तर्गत लगाए गए लगभग 3.36 लाख मीटरों में से मीटर, जलने संबंधी 306, अधिक बिल प्राप्त होने संबंधी 258 एवं मीटर खराब होने संबंधी 1971 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । (ख) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) एवं (घ) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता । फीडर विभक्तिरण योजना के अन्तर्गत लगाये गये विद्युत मीटर संबंधित टर्न-की ठेकेदार फर्म द्वारा क्रय किये गये हैं तथा निविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्डों/गुणवत्ता के अनुरूप पाए जाने पर ही उनका उपयोग किया गया है, अत: मीटर गुणवत्ताहीन होने अथवा किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

नवीन स्टाप डेम एवं तालाबों की स्वीकृति

3. **(क्र. 32) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) काला पीपल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्त्रोतों से कितने हेक्टर भूमि सिंचित होती है ? क्या सिंचित रकवा बढ़ाने हेतु नवीन तालाब एवं नवीन वियर प्रस्तावित किये गये

हैं ? यदि हॉ, तो कौन - कौन से ? (ख) क्या सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु कम लागत के तालाब एवं बड़े नालों पर डेम बनाने हेतु विभाग की कार्य योजना है ? अगर नहीं तो क्यों ? (ग) काला पीपल विधान सभा क्षेत्र एवं शुजालपुर विधान सभा क्षेत्र में नेवज नदी पर कितने डेम निर्मित हैं ? नेवज नदी पर ऐसे और कितने पाइन्ट हैं, जिन पर डेम का निर्माण किया जा सकता है ? (घ) क्या नेवज नदी पर ग्राम बोल्दा ग्राम, बिनाया ग्राम, अमस्या खेड़ी में नवीन स्टाप डेम स्वीकृत किये जावेंगे ? यदि हॉ, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में निर्मित 27 जल संसाधन परियोजनाओं का रूपांकित रबी सिंचाई क्षमता 3993 हेक्टर है । नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से प्रदेश में स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है । अत: नई लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है । (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र नेवज नदी पर कोई बांध निर्मित नहीं है । 4 स्टापडेम क्रमंश: अवन्तिपुर बडोदिया, बंजारी वियर, बांकाखेड़ी, डूंगलाय वियर एवं खेड़ा रायपुर निर्मित है । नेवज नदी पर राजगढ़ जिले में मोहनपुरा वृहद परियोजना निर्माणाधीन है । (घ) प्रश्नाधीन परियोजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता हैं।

धार्मिक पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने के मापदण्ड

4. **(क्र. 33) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाने के लिये विभाग द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? (ख) काला पीपल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने स्थानों को धार्मिक पर्यटन केन्द्र हेतु चिन्हित किया गया है ? क्या इनकी विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है ? (ग) क्या मोल्टा केवड़ी के हिमालेश्वर, अवन्तीपुर बडोदिया के गटीवनाथ धाम एवं बमुलिया मुछाली के देहटीघाट हेतु पूर्व में कोई विकास हेतु राशि आवंटित की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । (ग) जी नहीं ।

प्रमुख अभियंता द्वारा कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही

5. **(क्र. 58) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिला अन्तर्गत लघु मध्यम, वृहद कौन-कौन सी योजनाएँ स्वीकृत है, उनके नाम, स्थान, लागत, स्वीकृत बजट क्षमता तथा प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्य का प्रतिशत बतायें ? (ख) उक्त योजनाओं की स्वीकृती कब हुई, टेण्डर कब हुए एवं कार्य कब से प्रारंभ हुए ? प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी टेण्डर राशि का भुगतान किया गया ? (ग) म.प्र. कार्य संहिता 1983 तथा अधिकारियों को सौंपे गये उत्तरदायित्व संबंधी नियमों, निर्देशों के प्रकाश में बताये कि कार्य की प्रगति एवं गति क्या नियमों के प्रावधान अनुसार ठीक है ? प्रमुख अभियंता ने क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की ? (घ) क्या जिले में चल रही सभी योजनाओं के स्थल निरीक्षण प्रमुख अभियंता द्वारा किये गये ?

यदि सभी का निरीक्षण नहीं किया गया था, तो कारण सहित यह भी बताये कि शासन ने प्रमुख अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही क्यो नहीं की ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** । (ग) जी हाँ । प्रमुख अभियंता द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा का समन्वयन किया गया । (घ) जी नहीं, म.प्र. कार्य संहिता 1983 के तहत आवश्यक नहीं है । संबंधित प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है** । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता ।

फीडर सेपरेशन कार्य की प्रगति

6. **(क्र. 95) श्री अरूण भीमावद :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल लि. द्वारा फीडर सेपरेशन कार्य के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है ? तो शाजापुर जिले में कितने कार्य ठेकेदारों द्वारा किये जो रहे है ? (ख) जिले में कितने कार्य पूर्ण और अपूर्ण है ? (ग) फीडर सेपरेशन कार्य में अपूर्ण कार्य होने पर शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हॉ, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शाजापुर जिले सहित संपूर्ण कंपनी क्षेत्र में, फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदाएँ (विज्ञप्ति नहीं) जारी की गई थीं । शाजापुर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत 11 के.व्ही. के 188 फीडरों के विभक्तिकरण के कार्यादेश दो टर्न-की ठेकेदारों को जारी किये गये हैं । (ख) वर्तमान में शाजापुर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत 11 के.व्ही. के 118 फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 70 फीडरों के कार्य अपूर्ण हैं । (ग) शाजापुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत टर्न-की ठेकेदारों द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण निविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मोबिलाईजेशन एडवांस की बैंक गांरटी जब्त कर ली गई है तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से लिक्विडेटेड डेमेज के रूप में पेनल्टी की राशि भी काटी गई है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास सुविधा

7. **(क्र. 96) श्री अरूण भीमावद :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को रहने के लिये शासन द्वारा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ? (ख) यदि हॉ, तो क्या जिला मुख्यालय शाजापुर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास सुविधा उपलब्ध है ? (ग) यदि नहीं, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में पर्याप्त भूमि में दूरस्थ छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी ? (घ) उक्त छात्रावास के भवन के लिए शासन स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जिन आई.टी.आई. में छात्रावास भवन निर्मित है, वहॉ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । (ख) जी नहीं । (ग) एवं (घ) वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

देश के केन्द्र स्थल का पर्यटनीय विकास

8. **(क्र. 123) श्री मोती कश्यप :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम करौंदी में देश के किसी अक्षांश-देशांश के केन्द्र बिन्दु में विभाग द्वारा किन खसरों-रकबों में किन लागत की कब कौन सी संरचनायें निर्मित की हैं और क्या विभाग द्वारा मेगा टूरिस्ट सर्किट में उसे किन पर्यटन स्थलों से जोड़ा गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) क्षेत्र की पहिचान कब किसके द्वारा की गई है और कब किनके द्वारा कोई सम्मेलन व शताब्दि समारोह आयोजित किये गये हैं तथा देश व प्रदेश के किन्हीं सर्वोच्च पदाधिकारियों ने किन्हीं तिथियों में वहाँ प्रवास किया है ? (ग) प्रश्नांश (क) सहित राज्य के पर्यटन केन्द्रों में वर्ष 2012 से 2014 में कितनी संख्या में पर्यटकों की उपस्थिति दर्ज की गई है ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में कौन अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ हैं और वहाँ किनकी व कैसी आवासीय व्यवस्था की गई है ? (ड.) क्या विभाग द्वारा किन्हीं विशेषज्ञों से सर्वेक्षण - अध्ययन कराकर प्रश्नांश (क) को विशिष्ट पर्यटनीय स्थल बनाया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही

9. **(क्र. 124) श्री मोती कश्यप :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने अपने शिकायतयुक्त पत्र दिनांक 16-12-2014 द्वारा शासन व स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों व अधिकारियों को किसी रेत खनन कम्पनी एवं स्टेट माईनिंग कार्पो. की सांठगांठ में पी.डी.सी. चैक द्वारा मासिक किस्त, जबलपुर जिले की खदानों को जिला कटनी समूह में, बंद खदानों को पिटपास जारी कर अवैध निकासी और रायल्टी, आम जनता से लूट-खसोट, स्थानीय व्यक्ति को रेत-भण्डारण की विशेष अनुमति, अवैध पकड़े गये वाहनों पर असमान जुर्माना, अवैध कृत्यों पर ठेकेदार पर प्रकरण न बनाना तथा बड़वारा की 24 खदानों के अवैध उत्खनन आदि पर कोई शिकायतें की हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) पर कारपोरेशन के किसी कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 26-12-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 05-01-2015 द्वारा कोई जानकारी मांगी है और किसी दिनांक को उपलब्ध करा दी गयी है ? (ग) क्या विभाग ने प्रश्नांश (क) शिकायत पर किसी अधिकारियों से स्थलों एवं दस्तावेजों के आधार पर कभी कोई जांच करायी गई है और प्रतिवेदन कभी किसी को प्रस्तुत किया है ? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) पर ठेकेदार, विभागीय और कारपोरेशन के किन अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कोई कार्यवाहियां की गई हैं ?

उर्जा मंत्री (**श्री राजेन्द्र शुक्ल**) **:** (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पर्यटन केन्द्रों का विकास

10. **(क्र. 200) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला सिंगरौली में सरकार की कोई योजना है ? (ख) क्या सिंगरौली जिले के अंतर्गत माड़ा व बगदरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा ? यदि हाँ, तो इस संबंध में बजट, रूपरेखा इत्यादि की कोई योजना है ?

मुख्यमंत्री (**श्री शिवराज सिंह चौहान**) **:** (क) जी हॉ । (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की परिपथ विकास योजना के अंतगर्त बगदरा सेन्चुरी जिला सिंगरौली में रिसेप्शन एंड रेस्टॉरेंट बिल्डिंग, पार्किंग, केम्पिंग ग्राउण्ड, लेंडस्केपिकंग एवं टेंटेड एकोमोडेशन के लिए राशि रूपये 90.00 लाख स्वीकृत है । वर्तमान में सिंगरौली जिले के माडा हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

ग्राम पारसेन में तालाब निर्माण

11. **(क्र. 212) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग द्वारा ग्वालियर जिले के ग्राम पारसेन में तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? तालाब निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ? इस कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृति थी ? उक्त तालाब निर्माण से कितने गॉवों को लाभ मिलेगा ? (ख) तालाब के भराव क्षेत्र में किसानों की कितने हैक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है ? क्या डूब क्षेत्र के किसानों को शासन के मापदण्ड अनुसार मुआवजा राशि दी जा चुकी है ? किस-किस किसान को कितनी राशि दी गई ? तथा कितने किसान शेष बचे है जिन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई ? (ग) तालाब से जो नदी निकली हुई है उस पर पुल या पुलिया बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? क्या पुल पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हॉ । पारसेन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 999.95 लाख के विरूद्ध रू. 904.57 लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है । परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 7 ग्राम क्रमश: पारसेन, सुनारपुरा, बिल्हेटी, चंदूपुरा, तुरकपुरा, गोवई एवं सुमेरपाड़ा में है । (ख) परियोजना के डूब क्षेत्र में निजी भूमि 112.62 हे. आई है। मुआवजा संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ-1 से अ-15 अनुसार है** । (ग) जी नहीं । जलाशय के निर्माण से कोई मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति नहीं है ।

विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना

12. **(क्र. 222) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर सेपरेशन योजना अन्तर्गत रायसेन एवं देवास जिले में स्वीकृत कौन-कौन से फीडरों का कार्य अपूर्ण है एवं अप्रांरभ है नाम सहित बतावे ? उक्त अपूर्ण तथा अप्रांरभ कार्य कब तक पूर्ण होगें निश्चित समयावधि बताये ? (ख) रायसेन एवं देवास जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चिन्हित कौन-कौन से ग्रामो के सघन विद्युतीकरण के कार्य अपूर्ण है इनको पूर्ण करने हेतु शासन की क्या योजना है पूर्ण विवरण देवें ? (ग) 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर, 2014 तक रायसेन एवं देवास जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किन-किन ग्रामो का विद्युतीकरण एवं सघन विद्युतीकरण किया गया है तथा इन जिलों में उक्त कार्य किन-किन निविदाकार फर्मो द्वारा किया गया है ? उक्त कार्यो के निरीक्षण की क्या प्रकिया निर्धारित की गई ? (घ) प्रश्नांश (ग) के कार्यों में घटिया निर्माण, अनियमितताओं के संबंध में मान. मंत्रीजी को किन-किन विधायकगणों के पत्र कब-कब मिले तथा उन पर आज दिनॉक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत रायसेन एवं देवास जिलों में स्वीकृत, अपूर्ण एंव अप्रारंभ फीडरों की जानकारी एवं पूर्ण होने की संभावित तिथि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' अनुसार है** । (ख) राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत रायसेन जिले के 1379 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का प्रावधान है। कार्य मेसर्स एरा इन्फ्रा ए.आर.के. ऊर्जा नोएडा (संयुक्त उपक्रम) को दिनांक 27.01.2012 को टर्न-की आधार पर दिया गया है । उक्त अनुबंधित कार्य एंजेसी द्वारा 12 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 1367 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है । अपूर्ण कार्य की ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है** । उक्त ठेकेदार एजेंसी को दिनांक 27.01.2012 से 02 वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित किया गया था । उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा कार्य पुन: प्रारंभ किया गया है । कार्य शीघ्र करवाने के प्रयास किये जा रहें हैं । राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत देवास जिले के 1055 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का प्रावधान है । उक्त कार्य मेसर्स अग्रवाल पावर प्रा. लिमिटेड भोपाल को टर्न-की आधार पर दिया गया है । उक्त में से 548 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 507 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है । अपूर्ण ग्रामों की ग्रामवार **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है** । शेष कार्य प्रगति पर है एवं जून 2015 तक पूर्ण होना संभावित है । (ग) प्रश्नावधि में रायसेन जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत किये गये ग्रामों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है**। उक्त कार्य अनुबंधित ठेकेदार एजेंसी मेसर्स एरा इन्फ्रा ए.आर.के.ऊर्जा नोएडा (संयुक्त उपक्रम) के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार

कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी मेसर्स बीकोलॉरी लिमिटेड लखनऊ को भी नियुक्त किया गया है जो कि ठेकेदार एजेंसी के कार्यों का दैनिक पर्यवेक्षण करती है । इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वृत्त स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है । जो उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जॉच सहित विभिन्न कार्य संपादित करता है । प्रश्नावधि में देवास जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित ग्रामों जिनके विद्युतीकरण/सघन विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''घ'' अनुसार है** । देवास जिले में उक्त कार्य ठेकेदार एजेंसी मेसर्स अग्रवाल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी मेसर्स इलेक्ट्रीकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट एसोसियेशन, बडोदरा को नियुक्त किया है, जो कि ठेकेदार एजेंसी के कार्यों का दैनिक पर्यवेक्षण करती है । इसके अतिरिक्त वितरण कंपनी द्वारा वृत्त स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जॉच, मात्रा देयक का सत्यापन एवं सुधारे गए कार्यो का निरीक्षण इत्यादि के कार्य संपादित करता है । (घ) प्रश्नाधीन उल्लेखित पत्राचार प्राप्त होना नहीं पाया गया तथापि प्रकरण विशेष प्रकाश में आने पर जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

इंदिरा सागर की उद्वहन नहर से सिंचाई

13. **(क्र. 257) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रातंर्गत सिंचाई हेतु 26 तालाब (मध्यम एवं छोटे) निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं, जिसके सर्वे पर शासन का खर्च भी हुआ हैं ? (ख) उक्त तालाबों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? (ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उद्वहन नहर (इंदिरा सागर) से सिंचाई हेतु भविष्य की कोई कार्य योजना है ? इस योजना की मूलभूत जानकारी के साथ यह बतावें कि यह योजना कब प्रारंभ होगी ? (घ) अपरवेदा डेम पूर्ण होकर भी अभी तक पानी 317 मीटर तक नहीं भरा गया हैं, इस स्तर पर कब तक भरा जावेगा ? (ड.) अपर वेदा की बाई नहर का निर्माण कार्य अधूरा हैं, यह कब तक पूर्ण होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी नहीं । बजट उपलब्धता एवं साध्यता के आधार पर स्वीकृति की जाती है । (ग) इंदिरा सागर परियोजना की खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई योजना के अंतर्गत भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के कुल 8 ग्राम लाभांवित हो रहें । इनमें से योजना के प्रथम चरण में 6 ग्राम लाभांवित है । शेष 02 ग्रामों (सेल्दा एवं शामलीपुरा) में द्वितीय चरण में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है जो कि माह जून 2015 तक प्रारंभ किया जाना लक्षित है। (घ) अपरवेदा का कार्य पूर्ण होकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के आदेशानुसार जलाशय को 310 मीटर आर.एल. तक पानी भरा जा रहा है ।

जलाशय को 317 मीटर आर.एल. तक भरने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर में याचिका क्रमांक MCC/1623/14 Dt. 13.08.2014 दायर की गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2014 को निर्णय दिया गया है, जिसके अनुसार जलाशय को 317 मीटर आर.एल. तक आगामी मानसून अवधि में भरा जा सकेगा । (ड.) अपवेदा बांयी तट नहर का निर्माण कार्य लाईनिंग कार्य को छोड़कर पूर्ण हो चुका है । लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है । आगामी रबी सीजन के पूर्व कार्य पूर्ण हो जावेगा ।

परिशिष्ट - ''पाँच''

अनियमितता पर कार्यवाही

14. **(क्र. 263) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के परसवाड़ा, किरनापुर, बालाघाट ब्लाक में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत अब तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ? सूचीवार, ग्रामों के नाम बतायें ? विद्युतीकरण का किस-किस एजेंसी द्वारा क्या कार्य किया गया ? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये क्या-क्या सुविधा देने का प्रावधान है ? क्या परसवाड़ा विधान क्षेत्र में उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है ? (ग) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सेवढ़ा विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण है । यदि हॉ तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? क्या योजना के तहत लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लेकलिस्ट करने का क्या प्रावधान है ? यदि हॉ, तो अब तक कितने ठेकेदार ब्लेकलिस्ट हुये ? इन कार्य में म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.क. के अधिकारियों के पास ठेकेदार को दण्डित करने का अधिकार है ? (घ) क्या यह सच है कि परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसानों के कनेक्शन न होने पर भी बिजली बिल आ रहे है ? यदि हॉ, तो इसका निराकरण कैसे किया जा रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 14 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 249 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजरों/टोलों/बसाहटों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है । विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की ब्लाक के नाम सहित कार्यवार एवं एजेन्सीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है** । (ख) राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित सभी ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है । जी हाँ, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी उक्तानुसार सुविधा प्रदान की गयी है । (ग) जी हाँ, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 25 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है । कार्य में विलंब के लिये ठेके की शर्तों के अनुसार

टर्न की ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों में से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनाल्टी स्वरूप क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा रही है। दिनांक 31.01.15 तक कार्यरत एजेन्सी मेसर्स जी.व्ही.पी.आर., हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत बिलों में से रू. 117 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती की जा चुकी है । राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत टर्न-की आधार पर कराए जा रहे कार्यों के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान नहीं हैं । परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत किसी भी एजेंसी को अद्यतन ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, तथापि राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत पूर्व में 3 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया था । पूर्व में मेसर्स मेटॉस इन्फ्रा हैदराबाद, मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद एवं मेसर्स सिम्पलैक्स लिमिटेड जबलपुर को कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण उनके कार्यादेश निरस्त करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया था । जिसमें से मेसर्स मेटॉस इन्फ्रा हैदराबाद की रिट याचिका क्रमांक 18749/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दिनांक 31.01.2011 को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश निरस्त किया गया है । जी हॉ, कार्यादेश की शर्तो के अनुसार ठेकेदार के बिलों से पेनल्टी स्वरूप राशि काटे जाने एवं उनका कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार है । (घ) जी नहीं ।

एक ही स्थान/जिले में अधिकतम पदस्थापना अवधि संबंधी नियम

15. **(क्र. 300) श्री विश्वास सारंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी भी विभाग में कर्मचारी/अधिकारी एक ही स्थान/जिले में अधिकतम कितने वर्ष तक पदस्थ रह सकता है ? नियमों की एक प्रति देते हुए जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या एक ही स्थान/जिले में अधिकतम वर्ष पदस्थापना संबंधी नियम अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या अधिकतम पदस्थापना संबंधी नियम वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में भी लागू हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) स्थानान्तरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 9.9 एवं 9.10 के अनुसार । **नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) जी हॉ । स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 9.10 के अनुसार । (ग) जी हॉ । प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार ।

संविदा प्राध्यापक को समन्वयक बनाया जाना

16. **(क्र. 301) श्री विश्वास सारंग :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतां. प्रश्न संख्या 8 (क्र. 101) दिनांक 9 दिसंबर 2014 के अनुसार संविदा शिक्षक को किस नियम के तहत समन्वयक बनाया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या बरतकतउल्ला विवि में गोपनीय पत्रों को हर किसी को दे दिया जाता है ? यदि नहीं तो फिर

अनुशंसित प्राध्यापकों के लिफाफे संविदा शिक्षक को क्यों दिये गये ? किस पदनाम/नाम के अधिकारी की अनुशंसा पर दिये गये ? किस पदनाम/नाम के कर्मचारी ने दिये ? क्या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी पर कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत उक्त संविदा शिक्षक ने किस पदनाम/नाम के अन्य समन्वयक के माध्यम से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा/गोपनीय शाखा में जमा की ? क्या जिसके नाम से जमा करायी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण दें ? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) व (ग) के तहत क्या उक्त मामले की सम्पूर्ण जांच किसी प्रशासनिक अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? कारण दें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) परीक्षा संचालन अध्यादेश क्रमांक-5 के उपबंध 12 के तहत समन्वयक नियुक्त किया गया था । (ख) जी नहीं, अनुशंसित प्राध्यापकों के लिफाफे समन्वयक डॉ. पी.के. शर्मा द्वारा श्री आशीष जैन संविदा शिक्षक को संबंधित प्राध्यापकों से प्रश्नपत्र तैयार करने हेतु वितरित किये गये । समन्वयक डॉ. शर्मा को प्रश्नपत्र के लिफाफे सौंपे गये थे जो अध्यादेश-5 के उपबंध 12 के अंतर्गत नियुक्ति आदेश के तहत गोपनीय विभाग द्वारा प्रदाय किये गये थे । नियुक्त समन्वयक द्वारा लिफाफे संविदा शिक्षक को दिये गये थे । इस हेतु किसी अधिकारी द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी । प्रकरण में गठित की गई जांच समिति की अनुशंसा पर दोषी संविदा व्याख्याता श्री आशीष जैन को दिनांक 30.07.14 को विश्वविद्यालय सेवा से बर्खास्त किया गया है । (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत उक्त संविदा शिक्षक श्री आशीष जैन ने डॉ. रूपम गुप्ता, श्री मनीष श्रीवास्तव, डॉ. महेश मोटवानी एवं डॉ. मनीष अहिरवार के नाम से सामग्री समन्वयक डॉ. शर्मा को सौपी एवं लिफाफों पर संबंधित प्राध्यापकों के नाम एवं पदनाम होने से समन्वयक द्वारा गोपनीय विभाग में जमा करवाया गया तथा समन्वयक द्वारा संबंधित प्रोफेसरों/प्रश्नपत्र रचयिता को धन्यवाद ज्ञापित करने पर समन्वयक डॉ. शर्मा को ज्ञात हुआ कि जो प्रश्नपत्र एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं प्रस्तुत की गई हैं उन पर संबंधित प्राध्यापकों द्वारा कार्य नहीं किया गया है और यह शिकायत सिद्ध होने पर दोषी शिक्षक श्री आशीष जैन के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । (घ) प्रकरण में जांच हेतु एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई । जांच समिति की अनुशंसाओं के आधार पर दिनांक 30.07.14 को श्री आशीष जैन को सेवा से बर्खास्त किया गया तथा इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिनांक 04.09.14 को थाना बागसेवनियां को पत्र प्रेषित किया गया है ।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कार्य

17. **(क्र. 314) श्री संजय पाठक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने-कितने 11 के.वी.ए. लाईन, ट्रान्सफारमर, एल.टी. लाईन एवं एक बत्ती बी.पी.एल. कनेक्शन जारी करने का प्रावधान राजीव

गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत था ? यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ दिनांक से आज दिनांक तक कितना-कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? तथा कितना कार्य किया जाना लम्बित है ? (ख) प्रश्नांश (क) योजना में से लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? समय सीमा बतलायें ? (ग) यदि ठेकेदार कम्पनी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 के.व्ही.लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर, एल.टी.लाईन एवं बी.पी.एल. कनेक्शन का प्रावधान एवं योजना प्रारंभ दिनाक से प्रश्न दिनांक तक पूर्ण किये गये कार्य एवं लंबित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित 11 के.व्ही.लाईन (कि.मी.)	वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	निम्नदाब लाईन (कि.मी.)	बी.पी.एल. कनेक्शनों की संख्या
प्रावधान	172	139.97	203	110.46	18254
पूर्ण किया गया कार्य	161	134.71	190	101.31	14765
लंबित कार्य	11	5.26	13	9.15	3489

(ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लंबित कार्यों को 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है। (ग) जी हाँ, विभागीय तौर पर कार्य किए जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश पर कर्ज की स्थिति

18. **(क्र. 323) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार पर दिनांक 31/03/2014 तक कुल कितना कर्ज हैं ? प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है ? (ख) मध्यप्रदेश लिए गए कर्ज पर कितना ब्याज चुका रहा है वर्ष 2013-2014 की जानकारी देवें ? (ग) मध्यप्रदेश को अपने स्त्रोतों से कितने रूपयों की आय है ? (घ) मध्यप्रदेश ने पिछले वर्ष योजनाओं में बजट में दर्शाई गई राशि का कितने प्रतिशत खर्च किया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश सरकार पर दिनांक 31/3/2014 तक कुल रूपये 72113.39 करोड़ कर्ज है । वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति रूपये 9929 का कर्ज है । (ख) वर्ष 2013-14 में रूपये 6391.32 करोड़ ब्याज भुगतान किया गया

है । (ग) प्रदेश की अपनी स्त्रोतों से आय वर्ष 2013-14 में रूपये 41257.18 करोड़ है । (घ) प्रदेश ने पिछले वर्ष (वर्ष 2013-14) में कुल आयोजना बजट का 75.33 प्रतिशत खर्च किया गया है ।

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव का भवन निर्माण

19. **(क्र. 331) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज हेतु AICTE द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात क्या है ? (ख) क्या इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव में प्रश्नांश (क) के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मापदण्डानुसार है ? कुल छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या क्या है ? (ग) इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव में आगामी वर्ष में छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शिक्षक, कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं का किस प्रकार समायोजन किया जावेगा ? (घ) क्या इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एआईसीटीई द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात 15:1 है । (ख) जी नहीं । संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या 246 है जिनके लिये मापदण्डों के अनुसार आवश्यक 16 शिक्षकों के विरूद्ध कुल 12 शिक्षक कार्यरत हैं । (ग) इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव के स्वयं के भवन निर्माण होने तक संस्था अस्थाई रूप से शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय नौगांव के परिसर में संचालित है, जहॉ अध्ययन की सुविधाऐं उपलब्ध है । भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । नियमित/अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है । (घ) जी नहीं । प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

माईनर नहर का निर्माण

20. **(क्र. 386) श्री सचिन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 198 दिनांक 21 सितम्बर, 2014 के तारतम्य में प्रभारी अधिकारी मसावि/ऑप/प्रकोष्ठ वास्ते कलेक्टर, खरगोन के पत्र क्रमांक 33/मसावि/2014 दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में 90 हैक्टे. क्षेत्र के स्थान पर 57.750 हैक्टे. भूमि में जूनापानी वितरण शाखा से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित के साथ-साथ इस संबंध में टर्न की ठेकेदार को निर्देश दिये गये कि वे तीन आउटलेट का निर्माण शीघ्र कर उक्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाये के संबंध में प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? हाँ, तो बतायें नहीं तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? हाँ, तो कब ? नहीं तो क्यों ? (ख) प्रश्नांश (क) में मांग अनुसार शेष हैक्टे. भूमि पर माईनर नहर निर्माण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है तो बतायें कि उक्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु अन्य कोई व्यवस्था हेतु प्रस्ताव बनाया या विचार किया गया है ? हाँ, तो क्या ? नहीं

तो क्यों ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित शेष क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभाग अंतिम मत सहित जानकारी दें एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जूनापानी वितरण शाखा से 3981 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है । जूनापानी वितरण शाखा से तीन डायरेक्ट आउटलेट (3 नम्बर) का निर्माण किया जाना है, जिसका कुल कमाण्ड क्षेत्र 90 हेक्टेयर था, जिसमें से ऊँचे स्थलों को छोड़ 57.75 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाऐं प्रदान की जा सकेगी । वर्तमान में वितरण शाखा में पानी छोडा गया है एवं पानी बहाव होने के कारण आउटलेट का निर्माण कार्य संभव नहीं है, नहर में पानी बंद होने पर आउटलेट का निर्माण किया जावेगा । अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) शेष भूमि पर माईनर निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र एवं अत्याधिक ढलान वाला क्षेत्र होने के कारण माईनर नहर निर्माण संभव नहीं है । (ग) दर्शित शेष क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा भौगोलिक दृष्टि से किया जाना संभव नहीं है । अत: जवाबदेही निर्धारित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

तहसील कसरावद में नहर निर्माण

21. **(क्र. 389) श्री सचिन यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र तहसील कसरावद में अम्बकनाला तालाब निर्माण के समय तैयार की गई डीपीआर में किस-किस ग्राम में नहर कार्य किया जाना सुनिश्चित किया गया था ? ग्रामवार जानकारी दें ? प्रश्नांश (क) डीपीआर से ग्राम डेडगांव, कवडी, भनगांव और अन्य ग्रामों को क्यों विलोपित किया गया ? कारणों का उल्लेख करें ? (ख) डीपीआर से हटाये गये ग्रामों में हुई लापरवाही में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त हटाये ग्रामों को पुन: कब तक शामिल किया जायेगा ? समय सीमा दें नहीं तो कारण बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन स्वीकृत परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र ग्राम सुर्वा, किरगांव, बागखेड़ा, मुल्ठान, दोमवाड़ा खुर्द, दोमवाड़ा बुजूर्ग, हिरापुर, कमोदवाड़ा, मुराला, भोपाडा, ढावा भट्याण, सांगवी एवं खामखेड़ा है । प्रश्नाधीन ग्राम परियोजना के रूपांकित सैच्य क्षेत्र में नहीं होने के कारण उनके विलोपित किये जाने की स्थिति नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष आरक्षण/सुविधा

22. **(क्र. 449) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं ? नाम, पते व दूरभाष नम्बर

सहित सूची उपलब्ध करावें ? प्रश्न पूछे जाने तक कितने स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न (क) अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य प्रदेशों की तरह शासकीय सुविधाओं में विशेष आरक्षण/सुविधा दिये जाने की मांग स्वतंत्रता सेनानी करते आये हैं ? यदि हाँ, तो इनके द्वारा क्या-क्या मांग शासन से की जाती रही है व शासन स्तर पर कौन-कौन सी मांगों को पूर्ण किया जा चुका है ? (ग) प्रश्न (ख) अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों की कितनी मांगों को प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर लागू की गई है व कितनी मांगों पर विचार किया जा रहा है एवं कब तक स्वीकृत की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (**श्री शिवराज सिंह चौहान**) **:** (क) इंदौर जिले में 720 स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के नाम दर्ज है । जीवित स्वतंत्रता संग्राम सैनानी 297 हैं जिनके नाम पते की सूची **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी नहीं । (ग) "ख" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

किसानों को मुआवजा का भुगतान

23. **(क्र. 471) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में सिंचाई हेतु कितने लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई एवं वृहद सिंचाई परियोजनाएँ संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में संचालित सिंचाई परियोजनाओं के बॉध एवं नहरों के निर्माण में कितने किसानों की जमीन के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में किसानों को उनके जमीन के बदले मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ? समय सीमा बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) से (घ) गजरी परियोजना विकासखण्ड मझौली में एक कृषक तथा देवरी परियोजना, विकासखण्ड कुसमी में 8 कृषकों को मुआवजा भुगतान नहीं हो सका है । बरचर परियोजना की नहर की शासकीय भूमि के संबंध में 5 ग्रामों के कृषकों (कृषक संख्या 141) ने मुआवजे की मांग की है । भूमि के स्वत्व के संबंध में कलेक्टर, सीधी द्वारा जांच कराई जा रही है । भू-स्वत्व निश्चित होने तक मुआवजे के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव नहीं है । गोपद उद्वहन परियोजना की नहरों से प्रभावित 628 कृषकों को मुआवजा भुगतान नहीं होना प्रतिवेदित है । भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही व्यपगत हो गई है । परियोजना असाध्य हो जाने से भूमि की आवश्यकता नहीं रही है और

भूमि कृषकों को लौटाई जाना विचाराधीन है । प्रश्नांश 'क' के उत्तर में दर्शाई गई परियोजनाओं के शेष सभी कृषकों को उनकी भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है ।

परिशिष्ट - ''छः''

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य

24. **(क्र. 472) श्री कुंवर सिंह टेकाम :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने की योजना है ? यदि हॉ, तो जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने ग्रामों के मजरे-टोलों में विद्युतीकरण कार्य कराया जाएगा ? (ग) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है ? ग्रामवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये ? ग्रामवार जानकारी देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सीधी जिले में ग्रामों के 100 से अधिक बसाहट वाले क्षेत्रों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत है, जिसमें कुसमी विकासखण्ड के 115 ग्रामों एवं मंझौली विकासखण्ड के 116 ग्रामों के कार्य शामिल हैं । सीधी जिले में ग्रामों के रू. 3407.15 लाख राशि में विद्युतीकरण के कार्य टर्न-की आधार पर करने हेतु ठेकेदार एजेंसी मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुंबई को दिनांक 06.09.2014 को कार्यादेश जारी किया गया है । अनुबंध के अनुसार उक्त विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 11.01.2017 है । सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड देवसर सहित अन्य विकासखण्डों के ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य का प्रस्ताव आर.ई.सी लिमिटेड दिल्ली को दिनांक 22.01.2014 को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक अपेक्षित है । (ख) प्रश्न 'क' के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में निरंक ग्रामों का कार्य एवं 2015-16 में विकासखण्ड कुसमी के 57 ग्रामों एवं विकासखण्ड मझौली के 58 ग्रामों के मजरें/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना अनुमानित है । सिंगरौली जिले हेतु योजना की स्वीकृति प्रतीक्षित है । (ग) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विकासखण्ड कुसमी के 77 ग्रामों, विकासखण्ड मझौली के 112 ग्रामों एवं विकासखण्ड देवसर के 184 ग्रामों के मजरों/टोलो के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है । ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) विकासखण्ड कुसमी में 3224, विकासखण्ड मझौली में 6224 एवं विकासखण्ड एवं देवसर में 8400 हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये है । ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त राशि एवं व्यय

25. **(क्र. 477) श्री रामनिवास रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश कितना है ? केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन राज्य सरकार को किया गया है ? वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक की जानकारी वर्षवार बतावें ? (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) की योजनाओं में कितनी राशि का आवंटन किया गया ? आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) की प्राप्त राशि पिछले वर्षों में मिलने वाली राशि से कम है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्तमान में प्रदेश में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 4692.94 करोड तथा 2014-15 में राशि रूपये 5005.61 करोड के राज्यांश का बजट प्रावधान है । इन योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 13421 करोड़ तथा 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी 2015 तक रूपये 14912 करोड आवंटन राज्य सरकार को किया गया है । (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रश्नांश 'क' की योजनाओं में शत प्रतिशत राशि का आबंटन किया गया । आबंटन के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक राशि रूपये 13052.18 करोड व्यय की गई है । (ग) जी नहीं ।

लोकायुक्त संगठन के प्रतिवेदन पटलित किया जाना

26. **(क्र. 484) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2009 से प्रश्न दिनॉक तक शासन को कौन-कौन से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, उन प्रतिवेदनों में से कौन-कौन से प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे गए तथा कौन-कौन से प्रतिवेदन दिया जाना अपेक्षित है ? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से प्रश्न दिनॉक तक कोई भी प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका है ? यदि हॉ तो क्या लोकायुक्त अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या निर्धारित है ? (ग) क्या निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के 05 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं । इनमें से अभी कोई भी प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । वर्ष 2013-14 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन अभी दिया जाना अपेक्षित

है । (ख) जी हाँ । कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है । (ग) इन प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रशासकीय विभागों से प्राप्त हो चुकी है । पांचों प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित विधानसभा के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

नियम विरूद्ध अनुबंध निरस्त किया जाना

27. **(क्र. 485) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा निर्वाचन विकास योजना के अन्तर्गत विधायक की अनुशंसा के उपरांत कलेक्टर को एजेन्सी बदलने का अधिकार है ? यदि नहीं तो कलेक्टर भिण्ड द्वारा वर्ष 2011-12 में विधायक की अनुशंसा के विरूद्ध ग्राम खजुरी, ग्राम खोड़न (जलालपुरा) एवं ग्राम जमुहा के निर्माण कार्यों हेतु ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग भिण्ड की एजेन्सी किस नियम के तहत परिवर्तित की गई ? (ख) क्या ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग भिण्ड द्वारा समय सीमा में कार्य न करने पर कलेक्टर भिण्ड को कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं हैं ? यदि हॉ तो कलेक्टर भिण्ड द्वारा कब-कब कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग भिण्ड को समय सीमा में कार्य करने बाबत् निर्देश दिए गए ? (ग) क्या ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड द्वारा ग्राम पंचायत जमुहा विकासखण्ड लहार को निर्माण कार्य का कार्यादेश देने के 15 दिवस के अन्दर ही ठेकेदार श्रीमती गीता त्रिपाठी द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद भी एजेन्सी को भुगतान न कर पत्र क्र. 2938 दिनॉक 21.01.2014 को अनुबंध निरस्त कर दिया गया ? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम जमुहा में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब मौके पर जाकर निरीक्षण किया ? क्या उपरोक्त कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन कराकर असत्य जानकारी देने वाले एवं नियम विरूद्ध अनुबंध निरस्त करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही कर एजेन्सी को कार्य का भुगतान किया जाएग ? यदि हॉ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) निर्माण कार्य विधायक निधि+मनरेगा (कन्वर्जेन्स) से स्वीकृत किये गये थे, परन्तु मनरेगा मद की राशि के निर्माण कार्यों के मस्टररोल एवं एफ.टी.ओ. जारी करने का अधिकार निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नहीं होने से निर्माण कार्यों में असमर्थता व्यक्त करने के कारण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिला प्राइज़ द्वारा निर्माण एजेन्सी परिवर्तित की गई । (ख) विकास कार्यों की समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया । (ग) जी नहीं । कार्यादेश दिनांक 31.07.2012 को जारी किया गया था, जिसको पूर्ण करने की अवधि अक्टूबर 2012 नियत की गई थी, किन्तु ठेकेदार द्वारा 01 वर्ष 06 माह पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण दिनांक 06.02.2014 द्वारा अनुबंध निरस्त किया गया है । (घ) संबंधित उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण

किया गया हैं । शेष उत्तरांश-''ग'' के प्रकाश में किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा एजेन्सी को भुगतान किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>मौलिक अधिकारों का हनन</u>

28. **(क्र. 494) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विद्युत कम्पनी अथवा विद्युत विभाग के द्वारा बिना किसी योजना या नक्शा आदि के बिना विद्युत लाइन बिछाने के लिये, अपनी मनमर्जी से जहाँ चाहें विद्युत पोल लगा दिये जाते है ? (ख) विद्युत कंपनी या विद्युत विभाग के द्वारा लगाये जाने वाले पोल किसी भू स्वामी की खाली पड़ी जगह में लगाये जाने के लिये भू स्वामी से इसकी अनुमति या अनापत्ति प्राप्त करने का अथवा भू स्वामी की खाली पड़ी जगह पर पोल लगाने के लिये मुआवजा दिये जाने का कोई नियम है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह भी सच है कि जब भू स्वामी को जब अपनी उस खाली जगह पर कोई निर्माण कार्य करना होता है तो विद्युत कम्पनी द्वारा पोल हटाये जाने के लिये उस भू-स्वामी से पोल शिफ्टिंग चार्ज मांगा जाता है तथा शिफ्टिंग चार्ज इतना अधिक होता है कि सामान्यत: इसे भू स्वामी नहीं दे पाता है ? और उसकी स्वयं की भूमि विद्युत विभाग द्वारा अतिक्रमित कर ली जाती है ? (घ) जब विद्युत विभाग अथवा विद्युत कंपनी विद्युत लाइन बिछाने के दौरान पोल लगाने के लिये जब भू स्वामी से अनुमति प्राप्त नहीं करती है न ही उसे कोई मुआवजा दिया जाता है तब उस भू स्वामी से पोल शिफ्टिंग का व्यय क्यों मंगाया जाता है ? क्या यह भू स्वामी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ? क्या इस संबंध में शासन विद्युत विभाग की इस कार्यप्रणाली में सुधार करने की दिशा में कोई नियम/निर्देश जारी करेगा अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो कब तक और क्या ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । (ख) प्रदेश में संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जनहित की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने पर, प्राक्कलन व नक्शा तैयार कर तदनुसार ही पोल लगाये जाते हैं । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को आवश्यकतानुसार पोल खड़े करने हेतु अधिकृत किया गया है । पोल लगाये जाने के दौरान भू-स्वामी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाए जाने पर यथा संभव अन्य स्थान पर आपसी सहमति अनुसार पोल लगाये जाते हैं, अत: मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । मुआवजा देकर विद्युत पोल लगाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । (ग) भू-स्वामी को अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कराने में यदि विद्युत पोल हटाये जाने की आवश्यकता होती है, तो भू-स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2010 की धारा 63 में निहित प्रावधानों के परिपालन में भू-स्वामी द्वारा लाईन शिफ्टिंग हेतु आवश्यक राशि का भुगतान करने की सहमति देने पर, संयुक्त सर्वे के आधार पर निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन की राशि (शिफ्टिंग चार्ज) आवेदक से जमा कराकर विद्युत कंपनी के द्वारा शिफ्टिंग

कार्य कराया जाता है । अन्यथा भू-स्वामी द्वारा विद्युत वितरण कंपनी में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सुपरविजन चार्ज जमा कराकर "अ" श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से स्वयं पोल/लाईन शिफ्टिंग का कार्य कराया जा सकता है । उक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि अतिक्रमित करने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) उत्तरांश (ख एवं ग) में दर्शाए अनुसार निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत लाईन खड़ी करने व आवश्यकतानुसार शिफ्टिंग का कार्य किया जाता है । चूँकि पोल लगाने का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है । अत: किसी के अधिकारों का हनन होने अथवा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

रेत एवं कोयला का अवैध उत्खनन

29. **(क्र. 511) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के तवा नदी पर अवैध कोयला उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज है संबंधित कोल माफिया का नाम देवें ? (ख) बॉसपुर (तवा नदी) में रेत माफिया कन्हैया मालवीय के विरूद्ध विभाग विशेष कार्यवाही करेगा ? (ग) क्या खनिज विभाग प्रकरण दर्ज करने के लिये वन विभाग को सहयोग नहीं कर रहा है ? यदि हाँ, तो अवैध उत्खनन क्षेत्र अधिकांश किस विभाग का है ? (घ) घोड़ाडोंगरी से भौरा तक अवैध उत्खनन विभाग कब तक रोकेगा ?

उर्जा मंत्री (**श्री राजेन्द्र शुक्ल**) **:** (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में कोयला खनिज के अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रश्नाधीन व्यक्ति के विरूद्ध रेत खनिज के अवैध परिवहन के 02 प्रकरण दर्ज कर रूपये 78000 अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये हैं तथा रेत खनिज के अवैध भण्डारण का 01 प्रकरण दर्ज कर रूपये 09 लाख का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है । अतः प्रश्नाधीन व्यक्ति के विरूद्ध अन्य कोई विशेष कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र पर विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु प्रकरण प्रकाश में आने पर कार्यवाही की जाती है । इस क्षेत्र में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध 07 प्रकरण दर्ज कर रूपये 59538200 का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

कृषि उपकरणों पर वेट टैक्स

30. **(क्र. 530) श्री बाला बच्चन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपकरणों पर वेट टैक्स की क्या दर है ? प्रति उपकरण नाम सहित वेट की दर के साथ बताएं ? (ख) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि विकास और सबमिशन एग्री मैकेनाईजेशन योजनाओं में कृषि यंत्रों पर लगभग 50 लाख रू. वेट आरोपित किया गया है ? (ग) यदि हाँ, तो इसकी भरपाई कब तक होगी ? (घ) क्या शासन कृषि उपकरणों को वेट मुक्त उपकरणों की सूची में शामिल करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? समय सीमा बताएं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कृषि उपकरणों पर वेट की दर प्रति उपकरण नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ए" एवं "बी" अनुसार है** । (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास और सबमिशन एग्री मैकेनाईजेशन योजनाओं में कृषि यंत्रो पर वेट आरोपण करने संबंधी विशिष्ट जानकारी विभाग में संधारित नहीं होने से उपलब्ध नहीं है । (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्न दिनांक तक शासन के समक्ष वेट मुक्त उपकरणों की सूची में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अवैध खनन के प्रकरण पर कार्यवाही

31. **(क्र. 537) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनेश पिता मांगीलाल निवासी महिदपुर रोड के विरूद्ध अवैध खनन का प्रकरण एस.डी.एम. न्यायालय महिदपुर में कब से विचाराधीन है ? इसका निराकरण कब तक होगा ? (ख) दिनेश पिता मांगीलाल पर आरोपित 30.29 करोड़ रूपये की रिकवरी कब तक कर ली जावेगी ? समय-सीमा बतावें ? (ग) क्या खनिज अधिकारी उज्जैन द्वारा प.रेल्वे कोटा से दिनेश पिता मांगीलाल के संबध में आर.टी.आई. (सूचना के अधिकार) के तहत जानकारी मंगाई गई है ? यदि हाँ तो क्या प्राप्त जानकारी एस.डी.एम. कोर्ट में प्रस्तुत की गई ? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ? (घ) एस.डी.एम.कोर्ट में प्रश्नांश (ग) अनुसार प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विचाराधीन व्यक्ति के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व महिदपुर के समक्ष दिनाँक 10.06.2014 से प्रश्नाधीन प्रकरण विचाराधीन है । प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत है । अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) प्रश्नांश "क" में दिए गए उत्तर के प्रकाश में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नाधीन न्यायालय में प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है ।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वंचित ग्राम

32. **(क्र. 538) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जो ग्राम लाभान्वित होने से शेष रह गए है उनकी सूची देवें ? (ख) उपरोक्त ग्रामों को कब तक इस योजना में शामिल करके विद्युतीकरण प्रारंभ किया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? (ग) जिन ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी गुणवत्ता की जांच कब तक कराई जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दसवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार कोई भी ग्राम लाभांवित होने से शेष नहीं है । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । तथापि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उज्जैन

जिले की योजना में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** 58 ग्रामों के मजरों/टोलों/बसाहटों के विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है । उक्त कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है, ठेकेदार कंपनी द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा अनुबंध अनुसार ठेकेदार कंपनी द्वारा उक्त कार्य अक्टूबर 2016 तक पूर्ण किया जाना है । (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उज्जैन जिले में महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में पूर्ण किये जा चुके कार्यों में उपयोग की गई सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच तृतीय पक्ष एजेंसी मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा की गई है ।

परिशिष्ट - ''सात''

शिक्षण संस्थाओं की स्वीकृति

33. **(क्र. 546) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावरा के नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु शेष राशि स्वीकृत करने, ब्यावरा नगर में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा ब्यावरा नगर के सुठालिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2014 के पत्रों के तारतम्य में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनॉक 21 अक्टूबर, 2014 द्वारा परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा जिसमें प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2014 से अवगत कराया गया था ? (ख) यदि हाँ तो माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत क्या शासन उक्त प्रस्तावों को इसी बजट सत्र में स्वीकृति प्रदान करेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ । विभाग में ब्यावरा में पोलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत करने तथा आईटीआई ब्यावरा के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने तथा ब्यावरा के नगर सुठालिया में नवीन आईटीआई स्वीकृत करने हेतु माननीय विधायक का माननीय मंत्रीजी को संबोधित पत्र प्राप्त हुआ है । (ख) वर्तमान में प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक पोलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की योजना है । जिला राजगढ में पूर्व से ही पोलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत हो कर संचालित है । अत: ब्यावरा में पृथक से पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है । पीआईयू लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार आईटीआई, ब्यावरा के भवन निर्माण के लिये दिनांक 29 जनवरी 2015 तक रूपये 448.44 लाख का भुगतान किया गया है तथा शेष राशि रूपये 69.00 लाख पुनर्विनियोजन के द्वारा भुगतान के लिये उपलब्ध कराई जा रही है । ब्यावरा विकासखण्ड में पूर्व से ही आईटीआई संचालित होने से सुठालिया में नवीन आईटीआई स्वीकृत किये जाने का वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है । (ग) प्रस्तावों को इसी बजट सत्र में स्वीकृत करने का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है ।

गोपद नदी के जल उपयोग के संबंध में जारी निर्देश

34. **(क्र. 553) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सीधी सिंगरौली जिलों में प्रवाहित गोपद नदी के प्रवाह को बाधित न करने व जल उपयोग के संबंध में भारत सरकार ने कभी (वर्ष 1954) कोई विशेष निर्देश दिये थे ? यदि हॉ, तो स्पष्ट करें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित नदी में केन्द्र सरकार ने बांध, स्टाप डेम, रिजरवायर आदि बनाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश दिये थे ? यदि हॉ, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है ? क्या इस नदी में यूरेनियम तत्व की उपलब्धता/मौजूदगी/संभावना के कारण ऐसा किया गया था ? (ग) गोपद नदी के जल का उपयोग वर्तमान में किन-किन उद्योगों द्वारा किया जा रहा है ? उद्योगवार मात्रा बतावें ? क्या इस संबंध में सक्षम पर्यावरणीय अनुमतियां ली गई हैं ? (घ) जल उपयोग के संबंध में क्या विभाग के संज्ञान में कोई अनियमितता आई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक भारत सरकार से प्रश्नाधीन विषय पर जल संसाधन विभाग को कोई निर्देश प्राप्त नहीं है । अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है । (ग) मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज़ एवं मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड निगरी द्वारा गोपद नदी से जल लिया जा रहा है । इन्हे क्रमंश: 39.74 मिघमी एवं 58.31 मिघमी वार्षिक जल आवंटित किया गया है । जल आवंटन के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति की आवश्यकता नहीं है । (घ) जी नहीं, प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

निर्धारित मापदण्डों के विरूद्ध कार्यवाही

35. **(क्र. 556) श्री हर्ष यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऊर्जा विभाग द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली, कुर्की, विद्युत-विच्छेद, ट्रांसफार्मर बदलने, सिंचाई उपभोक्ताओं के हार्सपवार अपग्रेड करने बिजली कटौती आदि के मामले में क्या-क्या सामान्य मापदण्ड, शर्तें, नियम-नीति आदि लागू की है ? विस्तृत विवरण दें ? (ख) क्या उक्त नीति-निर्देशों का पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा सागर जिले में किया जा रहा है ? नहीं तो क्यों ? क्या सागर जिले में किए जा रहे नियम विरूद्ध बिजली बिल वसूली, कुर्की, बिना जांच किये नियम विरूद्ध विद्युत भार बढ़ाने/हार्सपावर अपग्रेड करने व घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों को अनावश्यक परेशान करने के मामले में क्या किसी वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से जांच/समीक्षा कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? नही तो क्यों ? (ग) देवरी वि.स.क्षेत्र में बिजली बिल बकाया होने के कारण कितने ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बंद की गई है व कितने ट्रांसफार्मर वर्तमान में खराब है बतावें ? यह भी बतावें कि छ: माह में किन-किन बकायादारों से क्या-क्या सामान कुर्क किया गया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की बकाया राशि की वसूली हेतु डयूज रिकव्हरी एक्ट 1961 के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही की जाती है। मध्य प्रदेश शासन की भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 (ए) सहपठित म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-212/सात/शा-8/99 दिनांक 10.11.99 के अधीन सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को तहसीलदार के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, जिसके तहत् कुर्की की कार्यवाही निष्पादित की जाती है । इसी प्रकार विद्युत विच्छेदन हेतु म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 9 की कंडिका 9.13 से 9.16 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है** । फेल ट्रासंफार्मर को ग्रामीण क्षेत्र में 03 दिन के अन्दर तथा वर्षा ऋतु में 7 दिन में एवं शहरी क्षेत्र में 24 घण्टों की अवधि के अन्दर बदले जाने का प्रावधान किया गया है । सिंचाई उपभोक्ताओं के द्वारा आवेदन एवं औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार एक माह के अन्दर उपभोक्ताओं की संविदा मांग में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान हैं । प्रदेश में विद्युत की मांग के अनुरूप दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है अत: विद्युत कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता तथापि कतिपय अवसरों पर लाइनों के रखरखाव एवं नए कार्यों हेतु विद्युत प्रदाय अल्पावधि हेतु प्रभावित होता है । (ख) जी हॉ । बिजली बिल वसूली, कुर्की, भार वृद्धि व घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों से संबंधित सेवाएं देने बाबत् कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जा रही है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है । उक्त नीति- निर्देशों का पालन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, अत: जांच/समीक्षा या कार्यवाही आवश्यक नहीं है । (ग) देवरी विधानसभा क्षेत्र में बिजली का बिल बकाया होने के कारण किसी भी ग्राम की विद्युत आपूर्ति बंद नहीं की गई है । वर्तमान में 60 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हैं । पिछले छ: माहों में देवरी विधानसभा क्षेत्र में बिजली के बिल की बकाया होने के कारण 268 बकायादारों से कुर्क किये गये सामानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है** ।

<u>लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

36. **(क्र. 557) श्री हर्ष यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा जनवरी 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने लोक सेवकों के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की है ? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में किन-किन को माननीय न्यायालयों में पेश किया गया है और किन-किन में विवेचना जारी हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित लोक सेवकों द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में उनके प्रशासकीय विभागों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही लोकसेवकों के विरूद्ध की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम-11 में अंकित है ।** (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23/02/2012 में यह प्रावधान है कि टेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी एवं कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 3 कार्यदिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये टेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये अथवा महत्वपूर्ण एवं संवदेनशील दायित्वों से मुक्त रखा जाये । इसके अतिरिक्त जांच एजेन्सी के विवेचना उपरांत अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है तो अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश है । इन्हीं निर्देशों के अनुसार अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागों द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

<u>सेवायुक्तों को देय वेतनमान दिया जाना</u>

37. **(क्र. 563) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-14/2013/1/3 दिनांक 12.08.13 के द्वारा जारी आदेश में तिलहन संघ के कितने सेवायुक्तों का विभिन्न विभागों में संविलियन योजना के तहत प्रश्नतिथि तक संविलियन किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित संविलियन किये गये सेवायुक्तों जो कि तिलहन संघ में निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सूचना सहायक, लेखाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर पदस्थ थे को संविलियन आदेश में वेतनमान विसंगतिपूर्ण होकर अलग-अलग विभागों में अलग-अलग वेतनमान दिया जा रहा है ? (ग) क्या शासन तिलहन संघ के सेवायुक्तों को विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर संविलियन हुये हैं, को पांचवे वेतनमान का लाभ देगा ? अगर हाँ तो कब से ? अगर नहीं तो क्यों ? (घ) संविलियन हुये सेवायुक्तों को क्या समयमान का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा ? अगर हाँ तो कब से ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियम बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । प्रश्न तिथि तक कुल 281 सेवायुक्तों का विभिन्न विभागों में संविलियन किया गया है । (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2014 द्वारा जारी संविलियन योजना के अनुसार तिलहन संघ के सेवायुक्तों का सीधी भर्ती के पदों के विरूद्ध ही संविलियन किया जाना है । संबंधित विभागों में जो सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं या सीधी भर्ती के सुपरन्युमेररी पद सृजित किये गये है, उन्हीं पर संविलियन किया गया है, अत: वेतनमान भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक है, किन्तु वेतन निर्धारण करते समय वेतन संरक्षण का प्रावधान है । (ग) संविलियत कर्मचारियों को योजना की कण्डिका 2.6 के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान का लाभ मिलेगा । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) संविलियन योजना की कण्डिका

2.7.1 एवं 2.7.3 में किये गये प्रावधानानुसार तथा पात्रता दिनांक से राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों के अंतर्गत समयमान वेतनमान के लाभ की पात्रता होगी । योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' पर है ।

पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स

38. **(क्र. 582) श्री जितू पटवारी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेट्रोल एवं डीजल पर प्रारंभ में कितना वेट टैक्स था एवं प्रश्न दिनांक पर कितना वेट टैक्स लिया जा रहा है ? इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई एवं क्यों की गई ? (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर जो वेट टैक्स प्रस्तावित किया गया था ? उससे सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में कितने राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था ? (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1 अप्रैल 2014 से वेट टैक्स बढ़ाये जाने के दिनांक तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है एवं वेट टैक्स वृद्धि दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? पृथक-पृथक स्पष्ट करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में पेट्रोल पर 27 प्रतिशत एवं डीजल (लाईट डीजल ऑइल और फर्नेश आईल को छोड़कर) पर 23 प्रतिशत वेट था । प्रश्न दिनांक को पेट्रोल पर 31 प्रतिशत एवं डीजल (लाईट डीजल ऑईल और फर्नेश आईल को छोड़कर) पर 27 प्रतिशत की दर से वेट देय है । प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए इसमें 4 प्रतिशत वृद्धि की गई है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ से लाईट डीजल ऑईल एवं फर्नेश आईल पर 13 प्रतिशत की दर से वेट देय है । (ख) राजस्व लक्ष्य का निर्धारण समग्र रूप से किया जाता है । पेट्रोल एवं डीजल पर पृथक से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखा जाता है । (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में 01 अप्रैल 2014 से 30/11/2014 तक कुल रूपये 11251.51 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है । माह दिसम्बर 2014 में 1446.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है । वेट की दर में वृद्धि दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त राजस्व का संधारण पृथक-पृथक नहीं किया जाकर मासिक रूप से आय का संधारण किया जाता है ।

लोकायुक्त प्रकरणों पर कार्यवाही

39. **(क्र. 1301) श्री जितू पटवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग के अन्तर्गत सन् 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में लोकायुक्त द्वारा किन-किन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है ? कृपया विभागवार नाम एवं पदनाम सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में श्रेणीवार अधिकारियों/कर्मचारियों को कितनी राशि लेते हुये पकड़ा गया है तथा इनके विरूद्ध विभाग द्वारा

क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) कौन-कौन से अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच पूर्ण होकर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है ? माननीय न्यायालय द्वारा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है तथा कितनों को बरी किया गया है ? नाम एवं विभागवार जानकारी देवें ? (घ) कौन-कौन से अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच लंबित होकर चालान कोर्ट में पेश किये जाना बाकी है ? लंबित होने का कारण स्पष्ट करें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" "ख" एवं "ग" अनुसार है** । (ख) अधिकारी/कर्मचारियों की श्रेणी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" "ख" एवं "ग" के कॉलम 7** एवं उनके द्वारा ली गई रिश्वत की **जानकारी कॉलम 9 के अनुसार है** । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23/02/2012 में यह प्रावधान है कि ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी एवं कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 3 कार्यदिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप व छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये अथवा महत्वपूर्ण एवं संवदेनशील दायित्वों से मुक्त रखा जाये । इसके अतिरिक्त जांच एजेन्सी के विवेचना उपरांत अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है तो अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किये जाने एवं माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से पृथक किये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश है । इन्हीं निर्देशों के अनुसार अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागों द्वारा कार्यवाही की जाती है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" "ख" एवं "ग" के कॉलम 10 एवं 11 में अंकित है** । माननीय न्यायालय द्वारा बरी किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी निरंक है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" "ख" एवं "ग" के कॉलम 12 में अंकित है** ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मिडिया कर्मी के कवरेज के दौरान नुकसान का भुगतान

1. **(क्र. 28) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक इन्दौर, उज्जैन संभाग में कितने आंदोलन, आयोजन, धरना प्रदर्शन, रेली के कवरेज के दौरान पुलिस कार्यवाही एवं अन्य कारणो से मिडिया कर्मी के कैमरे एवं अन्य कवरेज साधन को कितना-कितना नुकसान कहाँ-कहाँ हुआ जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांख (क) के अन्तर्गत नुकसान हेतु मध्यप्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग ऐसे मिडिया कर्मी एवं पत्रकारो को सहायता प्रदान करता है ? यदि हॉ तो प्रश्नांश (क) अन्तर्गत उक्त अवधि में किन-किन मिडिया कर्मियों ने सहायता के लिए (कब-कब आवेदन दिया तथा इनमें से कितनों को सहायता प्रदान कर दी गई है और कितनों को देना शेष है ? (ग) क्या यह सही है कि मन्दसौर के एक मिडियाकर्मी ने कवरेज के दौरान अपने कैमरे की टूट-फूट हेतु दिनांक 05.09.2013 को पत्र क्रं. 393 अपर संचालक (पत्रकार कल्याण) जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल को सहायता हेतु आवेदन दिया था ? यदि हाँ, तो भुगतान में विलंब का कारण स्पष्ट करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में आंदोलनों के दौरान मीडिया कर्मी के कैमरे एवं अन्य कवरेज साधन को क्षति पहुंचाने संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । (ख) जी हाँ । आवेदन की जानकारी निरंक है । (ग) नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

प्राप्त आवेदनों का निराकरण

2. **(क्र. 36) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने हेतु विज्ञापन दिनांक 16/06/2014 के द्वारा इच्छुक व्यवसायियों से आवेदन मांगे गये थे ? यदि हाँ, तो शाजापुर जिले के कालापीपल विकासखण्ड में कालापीपल शॉप के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थान के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित (शॉप) दुकान का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया गया था ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दुकान के लिये प्राप्त आवेदकों को कितने-कितने अंक प्राप्त हुये थे ? क्या प्राप्त आवेदन से योग्य व्यवसायी का चयन कर लिया गया था ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दुकान के लिये आवेदकों के लिये अंक निर्धारित दिनांक 27/12/2014 को जारी किया गया ? क्या पूर्व की प्रक्रिया को निरस्त किया गया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हॉ । विकासखण्ड-कालापीपल, जिला-शाजापुर हेतु 02 आवेदन जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम-शाजापुर में प्राप्त हुए थे । (ख) जी नहीं । विभाग द्वारा प्रस्तावित शॉप का भौतिक सत्यपान नहीं किया गया अपितु जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम जिला-शाजापुर द्वारा उक्त प्रस्तावित दुकान का भौतिक

सत्यापन किया गया था । (ग) प्रधान कार्यालय चयन समिति द्वारा जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय से प्राप्त आवेदनों को अंतिम किया जाता है । जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी कार्यालय समिति द्वारा अंक निर्धारित किए गए थे लेकिन प्रधान कार्यालय चयन समिति द्वारा उपरोक्त दोनों प्रस्तावों का परीक्षण करने पर दस्तावेजों में कॉट-छॉट/त्रुटि/अपूर्ण पाए जाने के कारण, प्रस्तावों को मान्य नहीं किया गया । (घ) जी नहीं । उत्तरांश- (ग) में उल्लेखित अनुसार विकासखण्ड-कालापीपल, जिला-शाजापुर में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त करते हुए, अन्य विकास खण्डों/जिलों के साथ, उक्त विकासखण्ड में भी निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के चयन हेतु पुन: विज्ञापन दिनांक 27.12.2014 को जारी किया गया ।

सांख्यिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति

3. **(क्र. 37) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में सांख्यिकी विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत है ? स्वीकृत पदों पर कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी कर्मचारियों में से कौन-कौन अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है ? (ग) विभाग द्वारा अन्य विभाग में अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के क्या कारण है ? क्या विभाग में कार्य नही है ? यदि नही है तो क्या पद समाप्त किये जावेगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कुल 15 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 06 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । (ख) कोई नहीं । (ग) उत्तरांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जावरा एवं पिपलौदा तहसील अंतर्गत पवन ऊर्जा कार्य

4. **(क्र. 44) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा तह. एवं पिपलौदा तह. अंतर्गत पवन ऊर्जा का कार्य किस-किस कंपनी, फर्म तथा व्यक्ति के द्वारा किन-किन स्थान पर किया जा रहा है ? (ख) उक्त कार्य हेतु किस-किस गॉव में/स्थान पर कितनी-कितनी भूमि शासन द्वारा प्रदान की जाकर कितनी निजी भूमि सम्मिलित है ? (ग) उपरोक्तानुसार कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण हुए ? कितने अपूर्ण होकर चल रहे है तथा कितने स्थानों पर प्रस्तावित होकर अप्रारंभ है ? (घ) साथ ही समस्त स्थानों से कितने मेगावॉट विद्युत का उत्पादन होकर पृथकत: इनकी लागत कितनी होगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है** । (ग) परियोजनाएं स्थापनाधीन है । स्थापनाधीन परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** प्रस्तावित होकर अप्रारंभ परियोजनाओं की जानकारी निरंक है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है ।**

जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खदानों की स्थिति

5. **(क्र. 45) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, तहसील पिपलौदा एवं तहसील में कुल कितनी रेत, मोरम-मिट्टी गिट्टी एवं अन्य प्रकार की खदाने चिंहित है ? (ख) उपरोक्त खदाने किन-किन स्थानो पर होकर इनका सीमा क्षेत्र (क्षेत्रफल) कितना-कितना है ? (ग) साथ ही उपरोक्त खदाने किस-किस को आवंटित होकर इनमें से कितनी कार्यरत् हैं, कितनी बंद है, कितनी प्रस्तावित है ? (घ) तथा इनसे शासन को वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक पृथकत: कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील में गिट्टी की कुल 19 खदानें तथा रेत की कुल 18 खदानें चिन्हित हैं एवं पिपलोदा तहसील में गिट्टी की कुल 7 खदानें चिन्हित हैं । तहसील जावारा में पत्थर-मुरूम एवं रेत की कोई खदान चिन्हित नहीं है । (ख) चिन्हित खदानों के स्थान एवं सीमा क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" में दर्शित है । (ग) खदान आवंटन की तथा कार्यरत एवं बंद खदानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स"** में दर्शित है । प्रश्नाधीन क्षेत्र में पत्थर, मुरूम, गिट्टी एवं रेत की कोई नवीन खदान प्रस्तावित नहीं है । (घ) इन खदानों से शासन को वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द"** में दर्शित है ।

ड्रिप योजनाओं की स्वीकृति

6. **(क्र. 74) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में ड्रिप परियोजना के अंतर्गत 2012-13 से अब तक कुल कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है ? (ख) ड्रिप परियोजना के लिये निविदा डब्ल्यू-5 कोटेशन तथा ई-5 कोटेशन के माध्यम से कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है ? (ग) ड्रिप परियोजना के अंतर्गत निविदा स्वीकृत करने हेतु शासन द्वारा गठित समिति में कौन-कौन सदस्य हैं उनके नाम बताएं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बडे जलाशयों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए ड्रिप परियोजना में चयनित 50 जलाशयों में से 29 परियोजनाओं में सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य आवश्यक पाये गये । इनमें से 23 जलाशयों के तकनीकी प्रस्ताव विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए गए हैं । (ख) डब्ल्यू-5 एवं ई-5 के माध्यम से क्रमंश: रूपये 29.60 लाख एवं रूपये 35.38 लाख व्यय किए गए है । (ग) ड्रिप परियोजना के अंतर्गत निविदा स्वीकृति हेतु शासन द्वारा पृथक से समिति गठित नहीं गई है । परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएं द्वारा गठित समिति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट - "आठ"

मुआवजा वितरण में लापरवाही

7. **(क्र. 75) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की तहसील, शाहनगर में सिचांई से संबंधित कितनी लघु और मध्यम परियोजनाओं पर काम चल रहा है तथा कितनी परियोजनाये स्वीकृत हो चुकी है ? इनकी लागत तथा इनसे होने वाले लाभ की जानकारी दें ? (ख) इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए किन-किन ग्रामों में कितनी भूमि का शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया, तथा उसके लिए कितने किसानों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया ? (ग) भूअधिग्रहण से संबंधित विवाद और मुआवजा से संबंधित विवादों के बारे में भी जानकारी दें तथा यह भी बतायें कि कितने किसानों को अब तक भूअधिग्रहण का मुआवजा नही मिला है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है । (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है । जल संसाधन विभाग के पास कोई विवाद विचाराधीन नहीं हैं ।

शासकीय सेवकों के भर्ती नियम

8. **(क्र. 112) श्री अरूण भीमावद :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शासकीय सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की है ? यदि हाँ, तो सेवा-निवृत्ति आयु के अन्तर्गत 20 वर्ष के लिए अर्हतादायी सेवा हेतु कोई अन्य प्रावधान किया जाकर सेवा-निवृत्ति 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किए जाने हेतु कोई प्रावधान किया गया है ? (ख) यदि नहीं तो अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर भर्ती आयु तथा सेवा-निवृत्ति आयु के मध्य के अंतर के आधार पर सेवा निवृत्ति पर अर्हतादायी सेवा में कोई नीति निर्धारित की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जी हॉ । सेवा निवृत्ति आयु के अंतर्गत 20 वर्ष के लिए अर्हतादायी सेवा हेतु 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किए जाने तथा अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर भर्ती आयु तथा सेवा-निवृत्ति आयु के मध्य के अंतर के आधार पर, सेवा-निवृत्ति पर अर्हतादायी सेवा के नीति निर्धारण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इंजीनियरिंग कालेज के कर्मियों का नियमितीकरण

9. **(क्र. 156) श्री मोती कश्यप :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर को कभी स्वशासी बनाया गया है और उसमें पूर्ववर्ती व्यवस्था के किन कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की सेवायें सौंपी गई हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) महाविद्यालय के कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक के रूप में किस नियुक्ति दिनॉक से कितनी शैक्षणिक योग्यता, आयु के कौन श्रमिक कार्यरत है और उनसे कौन सी सेवायें ली जा रही है और

किनको किस मद से कब से कितना पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है ? (ग) क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ (शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर) के पत्र दिनॉक 25.01.2012 एवं 22.12.2013 में प्रश्नांश (क) , (ख) श्रमिकों के नियमितीकरण एवं विशेष भत्ता के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किसी को निर्देशित किसी परिपत्र का कोई उल्लेख है ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) महाविद्यालय के द्वारा प्रश्नांश (क) (ख) श्रमिकों में से किन कनिष्ठों को किन आधारों पर प्रोन्नत किया गया है और जिन्हें नहीं तो, उसके कारण क्या है ? (ड.) क्या विभाग प्रश्नांश (ख) से (घ) के श्रमिकों के नियमितीकरण और निर्देशित विशेष भत्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रश्नांश (क) द्वारा की गई मॉग पर कोई वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ, वर्ष 1997 में । स्वशासी होने के पश्चात् किसी भी श्रमिक की सेवाऐं सौंपी नहीं गई है । (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>जनभागीदारी योजना अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति</u>

10. **(क्र. 231) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन भागीदारी योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने एवं निर्माण ऐजेन्सी निर्धारित करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ? उक्त योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं ? कौन-कौन से कार्य स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं ? पूर्ण विवरण दें ? (ख) उक्त योजनान्तर्गत शासकीय विद्यालयों में मरम्मत खेल मैदान, निर्माण फर्नीचर क्रय तथा स्वंय सेवी संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं या नहीं ? पूर्ण विवरण दें ? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में देवास जिले में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? (घ) वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में देवास जिले में कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा उक्त राशि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? पूर्ण विवरण दें ? जनवरी 2015 की स्थिति में कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं ? सूची दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** है । वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यों में से जो कार्य अप्रारम्भ है वे कार्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचन आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत कार्य प्रारम्भ कराकर पूर्ण करा लिये जावेंगे । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में रू. 310.00 लाख वर्ष 2013-14 में 335.00 लाख वर्ष 2014-15 में 300.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है । स्वीकृत कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स** एवं जनवरी 2015 में चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार** है ।

अपूर्ण महाविद्यालय भवन

11. **(क्र. 232) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में किन-किन शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण है, तथा क्यों ? कारण बतायें ? उक्त कार्य समयावधि में पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास - कार्यवाही की ? (ख) नवीन शासकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोलने, संकाय वृद्धि हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश हैं ? रायसेन एवं देवास जिले में उक्त संबंध में मान. मंत्रीजी को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए, तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त जिलों में किन-किन भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है, तथा विद्युतीकरण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई, तथा क्यों ? कारण बतायें ? कब तक राशि स्वीकृत की जायेगी ? (घ) उक्त जिलों में किन-किन महाविद्यालयों के पास कितनी भूमि आवंटित है, तथा कितनी भूमि पर अतिक्रमण है ? उक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये ? पूर्ण विवरण दें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) रायसेन जिले के गैरतगंज एवं उदयपुरा तथा देवास जिले के बागली शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य अपूर्ण है । शासकीय महाविद्यालय, गैरतगंज एवं उदयपुरा में निर्माण कार्य प्रगति पर है । कलेक्टर/विभाग द्वारा टी.एल. बैठक/समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है । शासकीय महाविद्यालय, बागली में तीन अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य हेतु यू.जी.सी. से 50 प्रतिशत राशि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है । इस संबंध में यू.जी.सी. को पत्र लिखा गया है । (ख) शासन के वर्तमान में इस बाबत कोई निर्देश नहीं हैं । प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ग) रायसेन जिले में शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायसेन एवं शासकीय महाविद्यालय, सिलवानी के भवन निर्माण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं । दोनों में विद्युत्तीकरण की राशि प्रशासकीय स्वीकृति में सम्मिलित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) रायसेन एवं देवास जिले के महाविद्यालयों में भूमि आवंटन एवं भूमि पर अतिक्रमण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । अतिक्रमण हटाने हेतु स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है ।

परिशिष्ट - "नौ"

तालाबों से गाद निकालकर जल स्तर में वृद्धि

12. **(क्र. 258) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा निर्मित पुराने तालाब जिनमें गाद भर चुकी हैं, उनमें से गाद निकालकर जल स्तर बढ़ाने हेतु कोई कार्ययोजना है ? (ख) क्या किसानों को विभाग की निगरानी में नि:शुल्क गाद निकालने की अनुमति मिल सकती है ? (ग) क्या विभाग द्वारा कोई शुल्क का निर्धारण किया गया है ? (घ) लछोरा तालाब योजना भीकनगांव में लागत अधिक होने से लंबित हैं ? क्या प्राक्कलन में संशोधन कर पुन: स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) तकनीकी कारणों से सिंचाई विभाग के जलाशयों से गाद निकालना उपयुक्त नहीं होने से कोई कार्य योजना आवश्यक नहीं है । (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । (घ) जी नहीं, लछोरा परियोजना असाध्य पाई गई है । प्राक्कलन में संशोधन कर परियोजना को साध्य बनाया जाना संभव नहीं होने से स्वीकृति दी जाना संभव नही है ।

जन शिकायत प्राप्त कर की गई कार्यवाही

13. **(क्र. 274) श्री मधु भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि मान. मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ग्रामीण अंचलों में जिला स्तरीय अधिकारी भ्रमण कर जन समस्याओं को प्राप्त कर उनका निराकरण करेंगे व भ्रमण के समय किन-किन समस्याओ का निराकरण व उनके निराकरण के क्या प्रावधान है ? (ख) यदि हाँ, तो आदेश/निर्देश प्रभावशील दिनांक से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में कहाँ-कहाँ, किन-किन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर कितनी समस्याओ का निराकरण हुआ विधानसभावार जानकारी देवे ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार** ।

कार्यों की जानकारी

14. **(क्र. 275) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में दिनांक 1.1.2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हुए है ? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक ग्रामों की संख्या देवें ? (ख) उक्त राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बालाघाट जिले हेतु कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई, तथा कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार सहित नाम बताएं ? योजना की स्वीकृति दिनांक तथा कार्य पूर्णता दिनांक का भी उल्लेख करें ? (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिए गए है तथा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष है ? समय सीमा बताएं ? (घ) निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों एवं इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी ? समय-सीमा बताएं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बालाघाट जिले में 10 वीं नहीं अपितु 11 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 2 योजनाओं में अद्यतन स्थिति में 75 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 772 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है, इस प्रकार कुल 847 ग्राम योजनान्तर्गत लाभान्वित हुए हैं । विधानसभा क्षेत्रवार ग्रामों की संख्या **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार है** । (ख) राजीव गांधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बालाघाट जिले हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 18.03.08 को रू. 56.29 करोड़ लागत की योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसे दिनांक 17.10.13 को पुनरीक्षित करते हुये रू. 62.85 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई । 11 वीं पंचवर्षीय योजनायें बालाघाट जिले की एक अन्य पूरक योजना जिसकी लागत राशि रू. 23.09 करोड़ थी, की दिनांक 15.09.11 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसे दिनांक 11.09.12 को पुनरीक्षित करते हुए रू. 34.45 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त दोनों योजनाओं में कार्य करने वाले टर्न-की ठेकेदार क्रमश: मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. हैदराबाद एवं मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुंबई है । निविदा के प्रावधान के अनुसार उक्त योजनाओं की कार्यपूर्णता दिनांक क्रमश: 20.11.2010 एवं 14.09.2014 थी । (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् 11 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 2 योजनाओं में 75 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकररण एवं 772 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर आवश्यक 808 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये गये हैं । प्रश्न दिनांक तक कार्य योग्य 3 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 377 विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य क्रमश: मे.बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुंबई एवं मे.जी.व्ही.पी.आर.हैदराबाद द्वारा किया जाना शेष हैा मे.बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मुंबई द्वारा माह फरवरी, 2015 में शेष कार्य पूर्ण करना संभावित है तथा मेसर्स जी.व्ही.पी.आर., हैदराबाद द्वारा कार्य में अत्यधिक विलंब करने के कारण उक्त ठेकेदार कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है, अत: वर्तमान में कार्य पूर्णता की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) निविदा के प्रावधानों के अनुसार कार्य में अत्यधिक विलंब करने के कारण मे.जी.व्ही.पी.आर., हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत बिलों में से रू. 117 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है तथा दिनांक 28.10.13 को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है । निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य समय से पूर्ण करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, तथा अधिकारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही सहित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु हर संभव प्रयास किये गये हैं, अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

<u>बारना नहर की बांयी मुख्य शाखा पर हो रहे नए स्ट्रक्चरों का निर्माण</u>

15. **(क्र. 304) श्री विश्वास सारंग :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बारना नहर की मुख्य बांयी शाखा में किस-किस स्थानों पर नये स्ट्रेक्चरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है ? और क्यों किया जा रहा है ? जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त स्थानों पर नए स्ट्रेक्चरों का निर्माण पुराने स्ट्रेक्चरों को तोड़कर पुराने स्थानों पर ही क्यों नहीं किया जा रहा है ? जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या नए स्ट्रेक्चरों के निर्माण के लिए किसानों की सिंचित बेशकीमती जमीन अधिग्रहीत की जायेगी ? यदि हाँ, तो क्या इससे किसानों में असंतोष फैलेगा ? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या विभाग इस पर विचार करेगा कि पुराने स्ट्रेक्चरों को तोड़कर उन्हीं स्थानों पर नए स्ट्रेक्चर बनाये जायें ? यदि नहीं तो क्यों कारण दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण और क्षमता विस्तार के लिए । (ख) एवं (घ) 27 में से 21 संरचनाओं का निर्माण पुरानी संरचनाओं के स्थान पर तथा शेष 6 का वैकल्पिक स्थान पर तकनीकी कारणों से आवश्यक होने से । (ग) जी नहीं, निजी भूमि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

विभागीय प्रगति की शिकायत के संबंध में

16. **(क्र. 317) श्री संजय पाठक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ऊर्जा विकास निगम विभाग का कार्यालय विगत एक वर्ष पूर्व कटनी जिले में खोला गया था ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रभार का जिला भी कटनी ही है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त विभाग की प्रगति कार्यालय खुलने से लेकर प्रश्न दिनांक तक निरंक रही है ? अर्थात किसी भी प्रकार का कोई कार्य इस विभाग द्वारा कटनी जिले में नहीं किया गया ? (घ) क्या किन्हीं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के नातेदार के प्रतिनियुक्ति पर मंडला में पदस्थ होने पर उक्त कार्यालय का फर्नीचर मंडला स्थानांतरित किये जाने के आदेश किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? (ड.) क्या प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रश्नाधीन गंभीर विषय पर विचार करते हुए कटनी विभागीय कार्यालय एवं उसका फर्नीचर स्थानांतरित होने से रोका जाएगा ? नहीं तो, क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । (ग) जी नहीं । कार्यालय खुलने के उपरान्त सामान्य कार्य के अतिरिक्त विभिन्न कार्य किये गये हैं । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) जिला कार्यालय कटनी का प्रभार पूर्व से ही जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी जबलपुर के पास होने से एवं कटनी कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से अन्य कार्यालयों के साथ किये गये युक्तियुक्तकरण के तहत जिला कार्यालय कटनी को जिला कार्यालय जबलपुर स्थानांतरित किये जाने के आदेश दिनांक 28.01.2015 को जारी किये गये हैं एवं कटनी कार्यालय के फर्नीचर को समीपस्थ जिला कार्यालय मण्डला में फर्नीचर नहीं होने से स्थानांतरित किया गया है । (ड.) उत्तरांश-(घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "बारह"

हवाई सेवा के विस्तार के लिए दिए गए अनुबंध

17. **(क्र. 326) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में हवाई सेवा के विस्तार के लिए कहाँ-कहाँ की किन-किन कम्पनियों से करार किए ? (ख) अगर हाँ, तो करार की शर्तें क्या हैं ? करार शर्त उपलब्ध करावें ? (ग) मध्यप्रदेश सरकार ने कौन-कौन सी हवाई पट्टियों को संचालन एवं संधारण के लिए कौन-कौन सी कंपनियों को सौंपा है ? (घ) प्रश्नांश (ग) की क्या-क्या शर्तें है ? उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र. स्टेट टूरिज्म डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन ने अप्रैल, 2011 में वेन्चुरा एयर कनेक्ट, लखनउ के साथ अनुबंध किया है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है । (ग) म.प्र. शासन के विमानन विभाग द्वारा हवाई पटिटयों को संचालन एवं संधारण के लिए किसी कम्पनी को नहीं सौपा है । (घ) प्रश्नांश-ग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

फीडर सेपरेशन योजना का कार्य

18. **(क्र. 327) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में फीडर सेपरेशन योजना लागू है ? (ख) सीहोर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत काम करने वाली कंपनियों का ब्यौरा दे ? इस योजना में सीहोर में जिले में हुए कुल व्यय की जानकारी दें । (ग) विधानसभा क्षेत्रवार कार्य की प्रगति क्या है ? कार्य पूरा होने का कब तक समय दिया गया ? देरी से कार्य करने वाली कंपनियों पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जॉच के क्या मापदण्ड हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) फीडर सेपरेशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में सीहोर जिले के सीहोर एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में ठेकेदार एजेंसी मेसर्स यू.बी.ई.आई.टेक.प्रायवेट लिमिटेड, फरीदाबाद कार्य कर रही है । सीहोर जिले के आष्टा एवं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में फीडर सेपरेशन योजना के कार्य हेतु ठेकेदार एजेंसी मेसर्स वोल्टास प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई को एल.ओ.ए. जारी किया गया है एवं उक्त कंपनी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत फरवरी 2015 के तृतीय सप्ताह से कार्य प्रारंभ किये जाने की संभावना है । सीहोर जिले में होने वाले व्यय (योजना अन्तर्गत प्रावधान) **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) सीहोर जिले में विधानसभा क्षेत्रवार कार्य की प्रगति एवं कार्य पूर्णता की निर्धारित समयावधि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अत: ठेकेदार कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) प्रश्नाधीन कार्य में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री यथा कंडक्टर, वितरण ट्रांसफार्मर एल.टी.ए.बी.केबल, मीटर इत्यादि की गुणवत्ता की जांच एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला एवं सी.पी.आर.आई., भोपाल में करवाई जाती है । सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ही उसका उपयोग किया जाता है, साथ ही अन्य सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड को अनुबंधित किया गया है जिसके साइट इंजीनियरों द्वारा सामग्री एवं किये गये कार्यों का सतत् रूप से निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों का वितरण कंपनी द्वारा ठेकेदार एजेंसी से निराकरण कराया जाता है ।

परिशिष्ट - "तेरह"

पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

19. **(क्र. 335) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयत्र लगाने हेतु विभाग की क्या योजना है ? किसी मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयत्र लगाने हेतु क्या आदर्श परिस्थिति होना आवश्यक है ? (ख) क्या पवन ऊर्जा संयत्र हेतु बिजावर विधानसभा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से स्थान हो सकते हैं, जहाँ पर यह संयत्र लगाने हेतु आदर्श परिस्थिति है ? (ग) प्रश्नांश (ख) नहीं है तो क्या बिजावर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयत्र स्थापित होने की आदर्श परिस्थितयों का सर्वेक्षण किया जा सकता है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये शासन की पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के माध्यम से पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु प्रावधान है । किसी मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु आदर्श परिस्थिति निम्नानुसार है :- 1.समुचित औसत वार्षिक वायु वेग । 2. समुचित वायु का घनत्व । 3.समुचित स्थल की समुद्र सतह से ऊंचाई । 4.परियोजना क्षमता उपयोग गुणक (केपेसिटी यूटिलाइजेशन फेक्टर) 20% से अधिक होना वांछित है । (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हॉ ।

शासकीय पालीटेक्निक नौगांव का भवन निर्माण

20. **(क्र. 336) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय पालीटेक्निक नौगांव के भवन के निर्माण के बाद इसका अनुरक्षण किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इस भवन के अनुरक्षण पर कब-कब कितना व्यय किस कार्य हेतु किया गया ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) अनुरक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है । (ख) मुख्य भवन के अनुरक्षण पर विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "चौदह"

कोठी पैलेस को हेरीटेज होटल बनाया जाना

21. **(क्र. 361) डॉ. मोहन यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई पर्यटन नीति के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ ही पर्यटन नीति के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें एवं वर्तमान में उक्त सुविधाएं किन-किन नगरों को दी जा

रही है ? (ख) क्या यह सही है कि मा.मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उज्जैन में बैठक के दौरान निर्णय लिया गया था कि कोठी पैलेस को हेरीटेज होटल में परिवर्तित किया जायेगा ? (ग) वर्तमान में उपरोक्त योजना की स्थिति क्या है ? अब तक कोठी पैलेस को हेरीटेज होटल में परिवर्तित करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये ? (घ) क्या उपरोक्त का क्रियान्वयन सिंहस्थ के पूर्व पूर्ण किया जायेगा ? यदि आज तक उक्त योजना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ? उसके लिये दोषी कौन है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

प्राध्यापक की नियुक्ति

22. **(क्र. 362) डॉ. मोहन यादव :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन के आदेश क्रमांक 1994/2011/42 (एक) दिनांक 4.2.2012 के अन्तर्गत केवल संचालनालय तकनीकी शिक्षा के दो अधिकारियों को प्राध्यापक के पद पर स्थानन किया था ? (ख) इसी आदेश प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या इसका लाभ उज्जैन इंजिनियरिंग कॉलेज के अधिकारियों को दिया जा सकता था ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से अधिकारी इस आदेश के लाभ से वंचित रहे ? उनके नाम बतावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ । (ख) केरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो नियमानुसार लाभ देने हेतु कार्यवाही कर रही है।

पॉलिटेक्निक प्राचार्य को प्रभार दिया जाना

23. **(क्र. 378) श्री आरिफ अकील :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा संचालनालय के प्राचार्य पॉलिटेक्निक स्तर के शासकीय सेवक प्रशासनिक पद पर रहते हुए प्राचार्य को प्राप्त होने वाला भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ? उनका नाम, पद व पदस्थी स्थान सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भत्ता प्राप्त करना क्या नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या आगामी समय में प्रदाय किए जाने वाले भत्तों पर प्रतिबंधित कर नियम विरूद्ध प्राप्त किये गये भत्तों की वसूली की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें ? (ग) प्रदेश में कुल कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है और उसमें से कितने महाविद्यालयों में पद अनुरूप प्राचार्य पदस्थ हैं, तथा किन-किन महाविद्यालयों में प्रशासनिक दृष्टि से व्याख्याताओं को कब-कब से प्रभार देकर प्राचार्य का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो प्रशासनिक व्यवस्था के चलते कितने समय तक प्रभार देकर काम चलाया जा सकता है ? छात्रों की अच्छी शिक्षा व भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कब तक प्राचार्य नियुक्त कर दिये जावेंगे, बतावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ ।

क्रमांक	नाम	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा शिक्षण संवर्ग में धारित पद	वर्तमान पदस्थापना
1	श्री शमीम उददीन	प्राचार्य, पोलीटेकनिक महाविद्यालय	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय ।
2	डॉ. आशीष डोंगरे	प्राचार्य, पोलीटेकनिक महाविद्यालय	संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
3	श्री अरूण नाहर	प्राचार्य, पोलीटेकनिक महाविद्यालय	सचिव, राजीव गॉधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल ।

(ख) जी हॉ । भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2010 में अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिये वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं) विनियम, 2010 में दिये गये प्रावधान अनुरूप देय है जिसका अनुमोदन राज्य सरकार के आदेश 19 अक्टूबर 2010 के द्वारा दिया गया है । प्राप्त भत्ते का अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा से भी प्राप्त किया गया है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) कुल स्वीकृत 66 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में से 63 पोलीटेकनिक महाविद्यालय संचालित है, जिसमें 13 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य पदस्थ है । शेष 50 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य का प्रभार दिया गया है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । समय-सीमा निर्धारित नहीं है । कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>परिशिष्ट - "पन्द्रह"</u>

<u>विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वायफाय सुविधा</u>

24. **(क्र. 379) श्री आरिफ अकील :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को बेहतर व तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु वायफाय जोन बनाने एवं स्नातक स्तर की कक्षाओं से सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने का वादा किया था ? (ख) यदि हॉं, तो क्या यह भी सही है कि 100 दिन की अपेक्षा लगभग 400 दिन व्यतीत हो

जाने के पश्चात भी वादा पूरा नहीं हुआ ? (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है इसके लिए कौन-कौन दोषी है और यदि नहीं, तो यह अवगत करावें कि उक्त घोषणाओं की अद्यतन क्या स्थिति है, बतावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । 100 दिवस कार्य योजना में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने का बिन्दु नहीं है । केवल वाय-फाय जोन बनाने का जिक्र है । (ख) जी नहीं । (ग) प्रदेश के 127 शासकीय महाविद्यालयों में वाय-फाय की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि का आवंटन मई 2014 में जारी कर दिया गया है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

स्टॉप डेमों का निर्माण

25. **(क्र. 406) श्री सचिन यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिपटान से नर्मदा संगम तक वेदा नदी पर स्टाप डेमों के निर्माण कार्य हेतु विगत एक वर्ष में प्रश्नकर्ता व अन्य द्वारा कितने-कितने पत्र व ज्ञापन संबंधित जिला अधिकारियों व उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुए है और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार स्टॉप डेमों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने में विलंब के क्या कारण है ? इस जनहित कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? समय सीमा बतायें नहीं तो स्पष्ट कारणों का उल्लेख करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, खरगोन को माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 25-04-2014 को प्राप्त होना प्रतिवेदित है । प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिपेक्ष्य में फिलहाल नई परियोजनाओं के लिए धनराशि की सुनिश्चितता नहीं होने से स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।

इमलिया जलाशय का सुधार

26. **(क्र. 427) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत इमलिया जलाशय में अत्यधिक लीकेज है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार यदि लीकेज है तो कब तक सुधार कार्य कराया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, इमलिया जलाशय के डूब क्षेत्र में परतदार चट्टानों के जोड़ से जलाशय के पूर्ण जल स्तर पर होने की स्थिति में मामूली सीपेज होता है । (ख) इमलिया जलाशय के डूब क्षेत्र की भौगोलिक संरचना में कमी का सुधार तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापको की भर्ती

27. **(क्र. 456) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए जारी किए एक विज्ञापन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नियम अनुसार 2009 के पहले पी.एच.डी. करने वलों के लिए नेट या क्लेट अनिवार्य की बाध्यता को अनदेखा कर जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? (ख) क्या यू.जी.सी. के नियम अनुसार 2009 के पहले पी.एच.डी. करने वालों को भी सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता है ? यदि हाँ, तो किस नियमानुसार स्पष्ट करें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नही । (ख) जी हाँ । यू.जी.सी. नियम 2009 का संबंध मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पीएच.डी./एम.फिल. डिग्री दिये जाने से है तथा यू.जी.सी. नियम 2009 के अनुसार पीएच.डी./एम.फिल. डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सहायक प्राध्यापक भर्ती हेतु यू.जी.सी. नियमन 2010 की कंडिका 3.3.1 एवं 4.4.1 के अनुसार नेट/स्लेट परीक्षा से छूट है । यू.जी.सी. नियम 2009 के पहले एम.फिल. या पीएच.डी. धारकों को भी नेट/स्लेट परीक्षा से छूट थी । म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पदों की भर्ती हेतु दिनांक 09.07.14 में जारी विज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नियमन 2010 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के साथ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 में निहित अर्हताओं को भी शामिल किया गया है । यू0जी0सी0 नियम 2009, 2010 तथा म.प्र. शैक्षणिक भरती नियम 1990 की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है । म.प्र. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 में अभी संशोधन प्रक्रियाधीन है । इसलिये सहायक प्राध्यापकों के सीधी भर्ती के विज्ञापन में यू.जी.सी. के साथ-साथ नियम 1990 में वर्णित अर्हताओं यथा नेट/स्लेट के समानान्तर पीएच.डी. यथा एम.फिल. धारकों को भी पात्रता है ।

जनभागीदारी समिति का गठन

28. **(क्र. 457) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर जिले में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति गठित की गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन महाविद्यालयों में जन भागीदारी समितियों का गठन किया गया है, (सूची उपलब्ध करावें) और किन में नहीं एवं जिनमें नहीं की गई है, उनमें कब तक कर ली जावेगी ? (ख) क्या यह सही है कि, इन शासकीय महाविद्यालयों में शासन की अनुशंसा पर जन भागीदारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाती है ? यदि हाँ, तो इन्दौर जिले के किन-किन शा. महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, किसमें नहीं ? कारण स्पष्ट करें व सूची उपलब्ध करावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । इंदौर जिले में 10 शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति गठित है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । शासकीय महाविद्यालय, राउ में जनभागीदारी समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय सीमा दी जाना संभव नहीं है । (ख) जी हाँ । वर्तमान में इंदौर जिले के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त नहीं है । अध्यक्षों की नियुक्ति विचाराधीन है ।

परिशिष्ट - "सोलह"

फीडर सेपरेशन कार्य की जानकारी

29. **(क्र. 467) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर सेपरेशन का कार्य प्रदेश में किन-किन जिलों में हुआ है ? जिलेवार कितने फीडरों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिलेवार कौन-कौन सी कंपनियों को कार्यादेश दिये गये है नाम बतावें ? जिलेवार कितने फीडरों का कार्य पूर्ण होना बाकी है जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त कार्य सम्पादित कर रही कंपनियों को दिनांक 31.12.2014 तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, कंपनीवार बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 15 जिलों, म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों तथा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 17 जिलों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य संपादित किया गया है, जिसकी कार्य पूर्ण किये गये फीडरों की संख्या सहित जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** हैं । (ख) प्रश्नांश क के संदर्भ में फीडर विभक्तिकरण के कार्य हेतु विभिन्न कंपनियों को जारी कार्यादेशों का जिलेवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब-अनुसार** है । फीडर विभक्तिकरण हेतु शेष फीडरों की जिलेवार संख्या **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश "क" और "ख" के संदर्भ में फीडर विभक्तिकरण के कार्य हेतु विभिन्न कंपनियों को किये गये भुगतान की कंपनीवार एवं जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है ।

प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए वैट टैक्स की जानकारी

30. **(क्र. 468) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा किन-किन उत्पादों पर कितना-कितना वैट टैक्स लगाया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त उत्पादों पर लगाए गए वैट टैक्स से मंहगाई पर कितना अधिभार पड़ रहा है ? (ग) क्या सरकार द्वारा मंहगाई को रोकने हेतु वैट टैक्स में कमी की जावेगी ? यदि हाँ तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादों पर लगाये जा रहे वेट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त उत्पादों पर लगाए गए वेट से मंहगाई का सीधा संबंध नहीं है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रदेश पर कर्ज की स्थिति

31. **(क्र. 482) श्री रामनिवास रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनॉक 31 मार्च 2014 की स्थिति में म.प्र. शासन पर कितना कर्ज था व 31 मार्च 2015 की स्थिति में म.प्र. शासन पर कुल कितना कर्ज संभावित है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्णित अवधि के बीच में क्या राज्य शासन ने कोई कर्ज लिया है ? यदि हॉ तो कितना-कितना, कब-कब व कहॉ-कहॉ से ? व यह भी बतायें कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कितनी-कितनी राशि ऋण किश्तों एवं ऋण ब्याज के रूप में अदा की गई है ? कितनी राशि स्थापना एवं पेंशन पर व्यय की गई है ? एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि ऋण किश्त व ऋण ब्याज में अदा की जाना है ? उक्त राशि वर्ष 2013-14 के बजट का कितना प्रतिशत है ? (ग) दिनॉक 31 मार्च 2014 की स्थिति में मध्यप्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन कितना कर्ज था एवं 31 मार्च 2015 की स्थिति में कितना संभावित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल रूपये 72113.39 करोड़ कर्ज है व 31 मार्च 2015 की स्थिति में म.प्र. शासन पर रूपये 88103.40 करोड़ कर्ज संभावित है । (ख) जी हां । वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति अभी शेष है तदुपरांत वित्त लेखे तैयार हो सकेगें । (i) वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ऋण, ब्याज वेतन एवं पेंशन मद में किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	ऋण किश्त	ऋण ब्याज	वेतन	पेंशन
2012-13	3583.94 करोड़	5573.73 करोड़	16221.55	4946.79
2013-14	4004.64 करोड़	6391.32 करोड़	17333.33	5955.10
2014-15	5182.31 करोड़ (अनुमानित)	7044.87 करोड़ (अनुमानित)	21418.24 (अनुमानित)	6334.33

(ii) वर्ष 2013-14 में ऋण किश्त एवं ब्याज की भुगतान की गई राशि, वर्ष 2013-14 के कुल व्यय की क्रमश: 4.66 प्रतिशत एवं 7.45 प्रतिशत है । (ग) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में मध्यप्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग रूपये 9929 कर्ज है । 31 मार्च 2015 की स्थिति की जानकारी वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति उपरांत तैयार हो सकेगी ।

विभिन्न विभागों को आवंटित बजट राशि एवं व्यय

32. **(क्र. 483) श्री रामनिवास रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में विभिन्न विभागों में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया ? व उक्त प्रावधानों के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि विभागों को तिमाही रूप से प्रदाय की गई व प्रदाय की गई राशि में से कितनी-कितनी राशि जनवरी 2014 तक व्यय की गई व कितनी राशि के-डिपोजिट (K-Diposit) में डाली गई ? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 में प्रदाय की जाने वाली राशि तिमाही रूप से तीसरे महीने के अन्त तक व्यय की जाना थी ? यदि हॉ तो दिसम्बर 2014 तक तिमाही रूप से प्रदाय की गई राशि में से व्यय राशि कितना प्रतिशत है ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार श्योपुर जिले में विभिन्न विभागों में कितनी राशि प्रदाय की गई व कितनी राशि दिसम्बर 2014 तक व्यय की गई ? कितनी राशि के-डिपोजिट (K-Diposit) में डाली गई ? व कितनी राशि विभागीय अधिकारियों द्वारा आहरित कर अन्य खातों में स्थानांतरित की गई ? कितनी राशि समर्पित की गई ? विभागवार जानकारी दें ? (घ) क्या शासन श्योपुर जिले में प्रश्नांश (ग) अनुसार विभागों को प्रदाय की जाने वाली राशि का व्यय न कर पाने के लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हॉ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधान सभा में प्रस्तुत हो चुके बजट प्रस्ताव में विभागवार बजट प्रावधान की जानकारी दस्तावेज के खण्ड 4 में दृष्टव्य है । विभागों को पूर्ण वित्तीय वर्ष का बजट उपलब्ध कराया जाता है, तिमाही रूप से नही । वर्ष 2014-15 के बजट से अप्रैल 2014 के आगे की अवधि के व्यय किये गये है, अत: जनवरी, 2014 की स्थिति के व्यय तथा 'के' डिपाजिट में राशि डाले जाने का प्रश्न उपस्थित नही होता । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) विभागो को बजट में जिलेवार राशि प्रदाय नहीं की जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं ।

भाण्डेर नहर प्रणाली के तहत पुलिया निर्माण

33. **(क्र. 487) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाण्डेर नहर प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम बरहा तहसील लहार जिला भिण्ड के समीप नहर पर पुलिया निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में कब-कब प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, मुख्य अभियंता राजघाट दतिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग लहार से अनुरोध किया गया ? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा पुलिया निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत कर, किस एजेन्सी को निर्माण हेतु कार्यादेश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि लहार-सेवढ़ा-ग्वालियर मुख्य मार्ग पर बनी नहर की पुलिया टूटने से बसों आदि वाहनों का आवागमन पूर्णत: बंद होने से आम नागरिकों एवं किसानों को लगभग 40 कि.मी. चक्कर लगाना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो पुलिया का निर्माण कब तक कराया जाकर अवरूद्ध मार्ग प्रारंभ कर दिया जाएगा ? समयावधि बताएं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मा. प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों की जानकारी शासन संधारित नहीं करता है । विषयांतर्गत विधानसभा शून्यकाल सूचना क्रमांक-10 प्राप्त हुई थी । (ख) पुलिया निर्माण हेतु राशि रू.13.22 लाख की स्वीकृति दी गई है । कार्यादेश नहीं दिया गया है । निर्माण एजेंसी नियत नहीं होने के कारण । (ग) जी नहीं, 9 किलोमीटर दूरी पर वैकल्पिक मार्ग से आवागमन की सुविधा है । 2 पहिया वाहन एवं पैदल आवागमन हेतु फुटब्रिज की व्यवस्था की गयी है । पुलिया का निर्माण एजेंसी नियत होने पर निर्भर होने से समयसीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

लोकायुक्त द्वारा लिखे गए पत्रों पर कार्यवाही

34. **(क्र. 488) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय लोकायुक्त महोदय ने 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव म.प्र. शासन को कब-कब, किस-किस संबंध में पत्र लिखे थे ? (ख) माननीय लोकायुक्त के पत्रों में उल्लेख अनुसार शासन द्वारा किन-किन पत्रों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? की गई कार्यवाही से अवगत कराएं ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **संलग्न परिशिष्ट के कालम नम्बर 04 अनुसार है** ।

परिशिष्ट - "सत्रह"

करैया वियर की जांच

35. **(क्र. 500) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में विगत सत्र में करैया वियर में सीसी 1:2:5 का कार्य कराया गया था जो एक वर्ष में ही पूर्णतया धराशायी हो गया था ? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र सुरखी में करैया वियर में सीसी 1:2:5 का कार्य कब और कितनी लागत से, किससे कराया गया था क्या इस कार्य के लिये क्या कोई गांरटी पीरियड था ? या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह भी सच है कि जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारी के द्वारा करैया वियर पर सीसी के घटिया कार्य के लिये दोषी ठेकेदार के विरूद्ध आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही उक्त निर्माण कार्य में कोई सुधार कार्य ही कराया है ? (घ) यदि हाँ, तो संबंधित दोषी अधिकारी सहित ठेकेदार पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी तथा उक्त घटिया निर्माण में सुधार कर कब तक मानक स्तर का निर्माण कार्य कराया जावेगा ? समयसीमा बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जी नहीं, करैया वियर का निर्माण कार्य कांक्रीट कार्य 1:2:4 एवं 1:3:6 के अनुपात में कराया गया । निर्माण कार्य वर्ष 2011-12 में पूर्ण हुआ है । निर्माण एजेंसी मेसर्स त्रिमूर्ति कंपनी, सागर होकर निर्माण लागत रूपये 77.36 लाख है । कार्य पूर्णता छोड़कर डिफेक्ट लायबिलिटी की अवधि एक वर्ष की है । वर्षा ऋतु 2012 में करैया वियर के नीचे बनाये गये एप्रॅान में वियरिंग कोट लगभग 70 घ.मी.कांक्रीट छतिग्रस्त हुआ । गांरटी अवधि में सुधार नहीं करने के कारण निर्माण ऐजेंसी की अमानत राशि रू.2.39 लाख रोकी गई है । मुख्य अभियंता को निरीक्षण कर सुधार कार्य ठेकेदार के व्यय पर कराने और संरचना में क्षति के लिए जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश दिए गए है ।

निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक कार्यरत अधिकारी

36. **(क्र. 501) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत राजपत्रित एवं प्रशासनिक शासकीय अधिकारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने की क्या कोई समय सीमा निर्धारण हेतु कोई नियम या निर्देश हैं ? यदि हॉ, तो क्या ? परिपत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाये ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हॉ है तो सागर जिले में किस-किस विभाग में कौन-कौन अधिकारी शासन के द्वारा निर्धारित समय सीमा अवधि से अधिक समय से निरंतर एक ही स्थान पर पदस्थ होकर कार्यरत है ? उनके नाम, पद, विभाग और पदस्थ रहने की अवधि बतायी जाये ? (ग) क्या यह सच है कि सागर जिले के जल संसाधन विभाग में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब, किस-किस स्तर से किस-किस प्रकार की क्या-क्या शिकायतें विभाग को हुई हैं ? इनमें से कितनी शिकायतों की जॉच कब-कब और किस-किस अधिकारी से करायी गयी और जॉच में किस-किस अधिकारी को किस-किस अनियमितता के लिये दोषी पाया गया तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विस्तारपूर्वक बताया जाये ? (घ) यदि अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इस हेतु कौन उत्तरदायी है ? प्रकरण में कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी ? समय सीमा बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विद्युत बिलों के बकाया भुगतान पर कार्यवाही

37. **(क्र. 518) श्री जतन उईके :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल नियत अवधि में ना भरने पर उनके विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा किये जाने के प्रावधान है ? (ख) जिन उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नही किये गये है उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जा कर उनसे बिजली बिल वसूला जा रहा है ? अथवा नही ? (ग) क्या मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा बिजली बिल बकाया होने पर पूर्ण क्षेत्र की विद्युत लाईन बंद कर दी जाती है ? अथवा बकायादारों की ही बिजली आपूर्ति बंद की जाती है ? (घ) क्या तहसील पांढुरणा के बकायादारों के किन-किन क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है ? क्या इससे रबी फसल की सिंचाई पर भी कोई असर पड़ा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल नियत अवधि में जमा नहीं करने पर नियत अवधि के पश्चात् आगामी 15 दिनों तक अधिभार सहित बिल जमा किये जा सकते हैं । उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अंतर्गत नोटिस देकर बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है । (ख) जी हाँ । (ग) जी नहीं । संबंधित पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादार की ही बिजली आपूर्ति बंद की जाती है । (घ) वर्तमान में पांढुरना तहसील के अंतर्गत बकायादारों की ही विद्युत आपूर्ति बंद की गई है । बिजली का बिल बकाया होने पर किसी भी पूर्ण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद नही है । अत: रबी सीजन में सिंचाई कार्य प्रभावित नहीं हुआ है ।

<u>जनसंपर्क विभाग में अटैच निजी वाहन</u>

38. **(क्र. 533) श्री बाला बच्चन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क संचालनालय भोपाल एवं मध्यप्रदेश माध्यम भोपाल में कुल कितने निजी वाहन कितने रूपये प्रतिमाह की दर पर अटैच किये गये हैं ? (ख) 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक अनुबंधित किये गये वाहनों पर हुए व्यय की जानकारी दें ? (ग) क्या जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हॉ, तो 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कितने पत्रकारों को, सुविधा उपलब्ध कराई गई जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें ? (घ) जनसंपर्क विभाग की वाहन शाखा के प्रभारी अधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारी का नाम तथा, वे कब से इस पद पर पदस्थ हैं इसकी जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । किराये पर ली गई वाहनें ट्रेवल्स एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित दरों पर कुल 30 वाहन मासिक रूपये 22,905/-की दर से किराये पर है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश माध्यम में कुल 04 वाहन मासिक रूपये 29,000/- की दर से किराये पर है । (ख) दिनांक 01.01.2012 से 31.08.2012 तक रूपये सैतीस लाख दस हजार आठ सौ अस्सी और दिनांक 01.09.2012 से प्रश्नांकित अवधि तक एक करोड़ निन्यानवे लाख सताईस हजार तीन सौ पचास रूपये व्यय हुआ । मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा राशि चौबीस लाख इकसठ हजार दो सौ सैतालीस रूपये व्यय हुए । (ग) जी हाँ । प्रश्नांकित अवधि में पत्रकारों को उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	पत्रकारों की संख्या
2012	526
2013	498
2014	484

(घ) श्री अनिल माथुर, अपर संचालक (वाहन) दिनांक 22 जुलाई 2014 से निरंतर पदस्थ हैं ।

पत्रकारिता पुरस्कारों पर कार्यवाही

39. **(क्र. 534) श्री बाला बच्चन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2008 के लिये प्रविष्टियॉ दिनॉक 10.06.2009 तक आमंत्रित की गई थी ? यदि हॉ तो इस तिथि तक भोपाल संभाग के लिये संभाग स्तरीय शरद जोशी पुरस्कार 2008 के लिये कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) भोपाल संभाग स्तरीय शरद जोशी आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार के लिए समिति का गठन कब हुआ ? समिति ने अब तक सभी आवेदनों पर विचार के लिए कितनी बार बैठकें की हैं ? बैठक में समिति में पुरस्कार के लिए जिन आवेदनों को उपयुक्त पाया है उनके नाम भी बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, दस आवेदन पत्र । (ख) आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार के लिये समिति का गठन वर्ष 2008 और 2014 में हुआ। समिति की बैठक की कार्यवाही प्रचलन में हैं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महाविद्यालय खोलने बावत्

40. **(क्र. 541) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालय स्वीकृति करने के नियम क्या हैं ? साथ ही निजी बी.एड., आई.टी.आई., पोलीटेक्नीक कालेज खोलने के नियम बतावें ? (ख) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के कस्बा झारड़ा में महाविद्यालय कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा जो कि लगभग 100 ग्रामों से जुड़ा है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्तमान में कोई नियम नहीं है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार** है । (ख) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे है । अत: महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा झारडा में महाविद्यालय खोले जाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में डेम निर्माण

41. **(क्र. 542) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के महू एवं पार्वती नदी पर डेम बनाया जाना प्रस्तावित है ? (ख) यदि हाँ, तो उसकी सर्वे रिपोर्ट, D.P.R. की कापी देवें ? (ग) इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

42. **(क्र. 549) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत वृहद् सिंचाई परियोजना सांका-श्याम जी जो कि पार्वती नदी पर स्थापित होना है, का सर्वे कार्य विगत 30-35 वर्षों से समय-समय पर किया जाता रहा है तथा इसका एक सर्वे सबडिवीजन कार्यालय वर्षों तक नरसिंहगढ़ में स्थापित रहा, किंतु इस पर आगे शासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ? क्या उक्त परियोजना अभी भी शासन के विचाराधीन है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) पार्वती रिंसी परियोजना का डूब क्षेत्र अत्याधिक होने से परियोजना साध्य नहीं पाई गई । जी नहीं । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

ब्यावरा के धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र बनाना

43. **(क्र. 550) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 192 दिनांक 23 जुलाई 2014 के माध्यम से माननीय राज्यमंत्री संस्कृति, पर्यटन मध्यप्रदेश शासन को विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के धार्मिक स्थान पशुपतिनाथ मंदिर एवं क्षेत्र के ही एक अन्य स्थल पार्वती नदी के मध्य स्थित प्राचीन आश्रम व शिवालय जहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर स्नान एवं विशाल मेले का आयोजन होता है ? ऐसे प्राचीन तीर्थस्थल घोघराघाट के विकास एवं पर्यटन केन्द्र विकसित करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने की मांग की गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त दोनों अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थलों के विकास हेतु अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या शासन उपरोक्त प्रसिद्ध स्थलों के विकास एवं पर्यटन केन्द्र विकसित करने हेतु कोई योजना बनाऐगा ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित स्थलों के विकास हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है । शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां बैंड के संरक्षण व संवर्धन

44. **(क्र. 554) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम उपाय कर बाबा अलाउद्दीन खां की विरासत के संवर्धन - संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है ? विस्तृत विवरण दें ?

(ख) विभाग द्वारा मैहर स्थित उस्ताद अलाउद्दीन खां बैण्ड के संरक्षण व संवर्धन हेतु क्या कार्य योजना है ? क्या यह सही है विभागीय उदासीनता के चलते विश्वविख्यात यह बैंड समाप्त होने की कगार पर है ? (ग) क्या विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खां की विरासत के संरक्षण व उनकी गुरू - शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए मैहर बैंड के संबंध में विशेष कार्य योजना बनाकर इससे जुड़े कलाकारों का उत्थान करेगा ? क्या शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाकर कोई योजना बनाई जावेगी ताकि यह विश्वविख्यात बैंड अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित कर सके ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) उस्ताद अलाउद्दीन खाँ की स्मृति को अक्षुण बनाये रखने के लिए राज्य शासन द्वारा वर्ष 1979 में उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी की स्थापना की गई. अकादमी के माध्यम से प्रतिवर्ष मैहर में संगीत-नृत्य पर केन्द्रित दो दिवसीय "उस्ताद अलाउद्दीन खाँ समारोह" का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के शीर्षस्थ एवं उदीयमान कलाकार शिरकत कर अपने प्रदर्शनों के माध्यम से बाबा को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं. यह प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन निरंतर 40 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है. अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष संगीत, नाटय, सिनेमा एवं ललित कलाओं के संवर्धन, संरक्षण एवं उन्नयन के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गरिमामयी आयोजन किये जाते है, जिसमें से अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन शामिल हैं. कार्यक्रमों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर हैं. (ख) मैहर वाद्यवृन्द विश्व भर में प्रसिद्ध अमूल्य धरोहर है, जिसकी स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खां द्वारा की गई थी. राष्ट्र एवं प्रदेश की यह अनूठी गौरवमयी परम्परा 1918 से आज तक निरन्तर है. खां साहब का कृतित्व मैहर वाद्यवृन्द जिसकी ख्याति समुचे विश्व में है, यह न केवल प्रदेश के लिये बल्कि समूचे राष्ट्र का गौरव है. इसे राष्ट्र एवं प्रदेश की धरोहर के रूप में माना जाता है. मैहर वाद्यवृन्द अपने आप में एक अनूठा वाद्यवृन्द है, जिसमें कई दुर्लभ वाद्य जैसे - नलतरंग, सितार-बैजों, एवं इसराज (दिलरूबा) , चेलो का आज भी प्रयोग किया जाता है, मैहर वाद्यवृन्द में कुल 09 वाद्यों को सामूहिक रूप से बजाया जाता है. इन वाद्ययंत्रों में से सितार-बैजों एवं नलतरंग, यत्रों का वादन वाद्यवृन्द के अतिरिक्त कहीं भी नहीं किया जाता एवं उक्त दोनों वाद्यवृन्द उस्ताद अलाउद्दीन खां द्वारा निर्मित किये गये हैं. मैहर वाद्यवृन्द के कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं. मैहर वाद्यवृन्द के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विभाग द्वारा 17 नवीन पदों के सृजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है. (ग) मैहर बैण्ड की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जाती है.

<u>परिशिष्ट - "अठारह"</u>

<u>सोन अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत खनन</u>

45. **(क्र. 555) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी अंतर्गत सोन अभयारण्य (सोन घडियाल) क्षेत्र के कंधवार, सजहा व डिठौरा में

वर्तमान में किस-किस को रेत उत्खनन की अनुमतियां दी गई है ? विगत तीन वर्षों में इस क्षेत्र से कितनी मात्रा में रेत खनन किया गया है ? क्या इन अनुमतियों के संबंध में सक्षम पर्यावरणीय अनुमतियां प्राप्त की गई है ? (ख) क्या यह विभाग के संज्ञान में है कि इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अवैध रेत उत्खनन किया जा कर पर्यावरण को भारी क्षति व शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई जा रही है ? क्या इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन की विभाग विस्तृत जांच कराकर रेत माफिया को दण्डित करायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या उक्त क्षेत्र में नियम विरूद्ध अत्यधिक रेत उत्खनन की विस्तृत जांच कराई जाकर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाकर इस अभयारण्य क्षेत्र का संरक्षण किया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (**श्री राजेन्द्र शुक्ल**) **:** (क) किसी को भी रेत उत्खनन की अनुमति नहीं दी गई है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) सोन घडियाल अभ्यारण्य में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु गठित जिला टास्कफोर्स (राजस्व विभाग, पुलिस, खनिज विभाग एवं सोन घडियाल अभ्यारण्य का अमला) द्वारा सघन भ्रमण कर भ्रमण के दौरान अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त रेत अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपराधियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर अभ्यारण्य का संरक्षण किया जा रहा है ।

<u>बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत सम्पन्न कार्य</u>

46. **(क्र. 558) श्री हर्ष यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में जलसंसाधन विभाग की योजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों में जिलावार कितनी-कितनी राशि बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि से स्वीकृत सम्पन्न कार्यों का विवरण दें व पूर्ण अपूर्ण की स्थिति बतावें ? (ख) उक्त कार्यों की गुणवत्ता संबंधी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ? विवरण दें ? इस संबंध में पाई गई अनियमितताओं व की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण दें ? (ग) बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत विभागीय कार्यों में हुई अनियमिताओं की कितने शिकायतें विगत तीन वर्ष में जिला कलेक्टर व विभाग को प्राप्त हुई उन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (**श्री जयंत मलैया**) **:** (क) जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए जिलेवार आवंटन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है । परियोजनावार स्वीकृति एवं आवंटन प्रदान किया जाता है । जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर एवं जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 सागर में बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है । (ख) निर्माण की गुणवत्ता एवं सामग्री की जांच गुणवत्ता इकाई द्वारा नियमित रूप से की जाना प्रतिवेदित है । निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार जांच समय-समय पर उपयंत्री से लेकर विभागाध्यक्ष स्तर के विभागीय अधिकारियों

तथा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया है । निरीक्षण के दौरान दिए गए सुझावों पर अमल तत्समय किया जाता है । गुणवत्ता में अनियमितता की स्थिति नहीं है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है ।

अनुकंपा नियुक्ति हेतु लंबित प्रकरण

47. **(क्र. 559) श्री हर्ष यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के आवेदकों के कितने प्रकरण किस-किस स्तर पर छः माह की अवधि से अधिक समय से लंबित है ? प्रकरणवार, विभागवार, लंबित होने के कारण सहित जानकारी दें ? (ख) अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शासन के नवीनतम निर्देश-नीति क्या है ? क्या प्रश्नांश (क) वर्णित प्रकरणों में शासन के नियमों का पालन किया गया है ? नहीं तो क्यों ? कितनी अवधि में अनुकंपा-नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश हैं ? क्या इसका पालन किया जा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित प्रकरणों के अत्यधिक समय से लंबित होने के कारण प्रकरणवार बतावें व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? इस संबंध में क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सागर जिले में अनुकंपा नियुक्ति के छः माह से अधिक अवधि के 0८ प्ररकण लंबित है, वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक** पर है । (ख) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक २९/०९/२०१४ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो** पर है, जिसमें विस्तृत प्रक्रिया के साथ निराकरण की समय-सीमा भी दी गई है । वर्णित प्रकरणों में शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है । (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक** में वांछित जानकारी दी गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अधूरे कार्य

48. **(क्र. 571) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किन-किन संस्थाओं / कम्पनी / ठेकेदारों को विद्युत पोल लगाने वायरिंग एवं अन्य फिटिंग का कार्य कब से दिया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयावधि संस्थावार / कम्पनीवार क्या-क्या थी ? दिनांक वार / जिलेवार जानकारी दें ? (ग) किस-किस कम्पनी /संस्था /ठेकेदारों के कार्यों में अनियमितता एवं समयावधि में कार्य ना करने की जांच कब-कब करवाई गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (घ) किस-किस जिलें में कार्य अधूरे पड़े है ? जिलेवार जानकारी दें । क्या कार्यवाही प्रश्नतिथि तक की गई है ? कब तक अधूरे कार्य पूर्ण किये जायेंगे ? जिलेवार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) चंबल संभाग में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण कार्य हेतु टर्न-की ठेकेदार एजेंसियों को दिये गये कार्य का अवार्ड जारी करने की दिनांक तथा कार्य पूर्ण करने की समयावधि सहित, जिलेवार एवं एजेंसीवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत चंबल संभाग हेतु प्रश्नाधीन चाही गई जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-1. श्योपुर जिले में दिनांक 30.10.12 को कार्य पूर्ण होने के उपरांत आर.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा क्लोजर प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है । 2.मुरैना जिले में कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण मेसर्स के.ई.सी. इंटरनेशनल को जारी अवार्ड दिनांक 21.10.13 को निरस्त कर दिया गया है । 3.भिण्ड जिले में कार्यो में अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होने पर म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सल्टेंट मेसर्स बीकोलॉरी लिमिटेड, लखनऊ एवं वितरण कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.13, 19.03.13, 04.04.13 25.04.13 14.05.13, 19.06.13, 22.02.14, 25.03.14, 05.05.14, 07.07.14 एवं 03.09.14 को जांच की गई । कार्य त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर ठेकेदार एजेंसी द्वारा खडे किये गये 590 पोलों को निकलवाया गया, साथ ही कार्य में अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार एजेंसी को भिण्ड वृत्त कार्यालय के पत्र दिनांक 22.02.14, 26.02.14, 25.03.14, 05.05.14, 07.07.14 एवं 03.09.14 से निर्देशित किया गया कि कार्य में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायें । समयावधि में कार्य नहीं किये जाने पर ठेकेदार एजेंसी को भिण्ड वृत्त कार्यालय के पत्र दिनांक 15.07.14, 16.08.14, 26.08.14 एवं 03.09.14 से निर्धारित समयावधि अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है । कार्य की प्रगति अपेक्षानुसार नहीं होने के दृष्टिगत म.प्र. म.क्षे.वि.वि. कंपनी द्वारा दिनांक 05.02.15 को ठेकेदार एजेंसी को टर्मिनेशन नोटिस दिया गया है । (घ) राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत चंबल संभाग के मुरैना एवं भिण्ड जिलों के कार्य पूर्ण नहीं हुए है । मुरैना जिले में कार्य में विलंब किये जाने के कारण ठेकेदार एजेंसी मे. के.ई.सी. इंटरनेशनल को जारी अवार्ड दिनांक 21.01.13 को निरस्त कर रू; 23.70 करोड़ की राशि राजसात कर ली गई है । उक्त एजेंसी द्वारा अधूरे छोड़े गए 232 ग्रामों के कार्यो मे से 13 ग्रामों का कार्य विभागीय तौर पर पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है । भिण्ड जिलें में कार्य में विलंब के दृष्टिगत ठेकेदार एजेंसी मे. बी.एस. ट्रांसकॉम, हैदराबाद को दिनांक 05.02.15 को टर्मिनेशन नोटिस दिया गया है तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में रू. 16.14 लाख की राशि पेनल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है। भिण्ड जिले का शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>परिशिष्ट - "उन्नीस"</u>

<u>फीडर विभक्तिकरण योजना की जानकारी</u>

49. **(क्र. 574) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर विभक्तिकरण योजना म.प्र. में कब से संचालित है ? इस योजना के क्या-क्या उद्देश्य

हैं ? इस योजना के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? इस योजना में गुणवत्ता का परीक्षण किस पदनाम के अधिकारी द्वारा किया जाता है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र मेहगांव, जिला भिण्ड में ऊर्जा विभाग द्वारा कितने ग्रामों में किस दिनांक से कार्य आरंभ किया गया है ? प्रश्नतिथि तक किस-किस कार्य की क्या-क्या स्थिति स्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित है ? कार्यवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों में किस-किस कार्य के क्या-क्या कार्यादेश जारी किये गये ? कार्यादेशों की एक-एक प्रति दें ? समय पर कौन-कौन से फीडर पर कार्य कितने प्रतिशत अधुरे पड़े है । कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि क्या थी ? (घ) उक्त योजना के अन्तर्गत मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव प्रश्नतिथि तक नहीं लिये गये हैं ? उन्हें इस योजना में कब शामिल किया जायेगा ? बिन्दुवार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना म.प्र. में वर्ष 2011 से संचालित है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को पृथक-पृथक फीडरों द्वारा विद्युत प्रदाय करना है, जिससे गैर कृषि फीडरों पर 24 घंटे प्रतिदिन एवं कृषि फीडरों पर 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना सुदृढ़ की जा सके ताकि उपभोक्ताओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जा सके । उक्त योजना में आर.ई.सी. लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य किया जाता है । इस योजना में गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के पदनाम की जानकारी निम्नानुसार है:- 1. रेसिडेन्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट । 2.क्वांटिटी सर्वेयर एवं कान्ट्रेक्ट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट । 3.प्रबंधक/उपमहाप्रबंध स्तर के, नोडल अधिकारी (एफ.एस.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड । 4. उपमहाप्रबंधक/महाप्रबंधक स्तर के, क्षेत्रीय नोडल अधिकारी (एफ.एस.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड । (ख) फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत मेहगॉव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत माह दिसम्बर 2011 से टर्न-की कॉन्ट्रेक्टर मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 53 ग्रामों में कार्य आरंभ किया गया था । प्रश्नतिथि तक सुकाण्ड आबादी फीडर से संबद्ध 20 ग्रामों, चिरोल आबादी फीडर से संबद्ध 28 ग्रामों एवं कचनाव आबादी-1 फीडर से संबद्ध 5 ग्रामों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, जिसका विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन क्षेत्र में गोरमी आबादी फीडर से संबद्ध 37 ग्रामों, बरहद आबादी फीडर से संबद्ध 18 ग्रामों, अमायन आबादी फीडर से संबद्ध 19 ग्रामों एवं कचनाव आबादी-2 फीडर से संबद्ध 13 ग्रामों के कार्य प्रगति पर है जिसका विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है । (ग) फीडर विभक्तिकरण के प्रश्नाधीन कार्यों हेतु म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यादेश क्रमांक 969 दिनांक 9-8-11 जारी किया गया है जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है** । उक्त योजनांतर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र के अधूरे कार्यों का ग्रामों के नाम सहित फीडरवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । उक्त कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि 19.2.2013 थी जिसे दिनांक 19.11.2013 तक बढाया गया है । (घ) फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत मेहगॉव विधानसभा क्षेत्र के 92 ग्राम

प्रश्नतिथि तक योजना में नहीं लिये गये हैं, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार** हैं । इन ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वर्तमान में निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

इंदौर स्थित आडिटोरियम की साज सज्जा

50. **(क्र. 584) श्री जितू पटवारी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कला प्रेमियों हेतु 1500 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाला आडिटोरियम सन् 2012 में निर्मित किया जाकर सन् 2013 में संस्कृति विभाग को एक रूपये लीज पर हस्तांतरित किया गया है ? (ख) क्या उपरोक्त हस्तांतरित आडिटोरियम की आंतरिक साज सज्जा संबंधी कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्य संस्कृति विभाग द्वारा पूर्ण किये जाने थे ? (ग) यदि हॉ, तो क्या विभाग द्वारा उपरोक्त आडिटोरियम की आंतरिक साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण कर लिये गये है ? (घ) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण किये जावेगें ? यदि हॉ, तो कार्य कब प्रारंभ होकर पूर्ण कर लिये जावेंगे ? नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ. (ख) उक्त विषयक योजना की डीपीआर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है. (ग) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण भारत सरकार में लंबित है. (घ) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण भारत सरकार में लंबित है. अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

असुरक्षित प्राचीन मूर्तियॉ

51. **(क्र. 931) श्री संजय पाठक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कटनी जिले में पुरातत्व की प्राचीन धरोहर एवं प्राचीन मूर्तियों एवं भित्त चित्र विभिन्न स्थानों में असुरक्षित फैले हुये है यदि हॉ, तो वह कौन से स्थान है तथा किस-किस तरह असुरक्षित प्राचीन मूर्तियों एवं अन्य सामग्री है कृपया सूची प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार पुरातत्व की सामग्री एवं मूर्ति असुरक्षित है तो शासन कब तक इनको सुरक्षित करने की व्यवस्था किस प्रकार करेगा ? (ग) पूर्व में अनेकों बार उक्त जिले में प्राचीन मूर्तियों एवं पुरातत्व सामग्रीयों को क्षतिग्रस्त किया गया एवं चोरी की गई उसके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई ? तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कब तक शासन कार्यवाही करेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) उत्तरांश क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर केन्द्र संरक्षित स्मारक विष्णु वराह मंदिर, कारीतलाई में वर्ष 1998

तथा 2006 में एवं तपसी मठ, बिलहरी, जिला कटनी में वर्ष 2007 में मूर्ति चोरी की घटना हुई थी जिस पर विभाग द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी. अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

मैहर व अमरपाटन क्षेत्र के बाण सागर बांध प्रभावित ग्राम

52. **(क्र. 1254) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की बाणसागर बांध योजनांतर्गत मैहर व अमरपाटन तहसील क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम पूर्ण व आंशिक रूप से डूब प्रभावित निर्धारित कर घोषित किए गए थे ? इनके निवासियों व कृषकों को कब कितना-कितना मुआवजा दिया गया था ? (ख) क्या शासन द्वारा कराये गए सर्वे में जिन ग्रामों/क्षेत्रों को अप्रभावित माना गया था, क्या वे आज भी वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं है ? (ग) क्या मैहर तहसील की ग्राम पंचायत सारंग के ग्राम नौगमा को विभाग डूब प्रभावित मानता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह ग्राम जल भराव से चारों ओर से घिर जाता है ? वास्तविक स्थिति बतायें ? क्या इस ग्राम के प्रभावितों को कभी मुआवजा दिया गया ? नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) क्या शासन पूर्व में कराये गए सर्वे और वास्तविक स्थितियों को लेकर पुन: सर्वेक्षण कराकर वास्तविक प्रभावितों को शासन की नीति के तहत मुआवजा/विस्थापन की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन तहसीलों में डूब प्रभावित ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को वर्ष 1991-92 से 2005-06 के दौरान रूपये 23, 271.63 लाख का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ, ग्राम नौगवां आंशिक डूब प्रभावित है । जी नहीं । जल भराव से नौगवां तीन तरफ से प्रभावित होता है । डूब प्रभावितों को राशि रू.78.43 लाख का मुआवजा दिया गया है । (घ) जी नहीं, आवश्यकता नहीं होने से ।

वन भूमि से अवैध उत्खनन

53. **(क्र. 1288) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के राजस्व एवं वन विभाग के वन क्षेत्रों/वन भूमियों में से कितनी खदानों से खनिजों का उत्खनन हो रहा है ? (ख) उक्तानुसार खदान एवं वनखंड का नंबर/खसरा नंबर प्रदाय करें ? (ग) क्या वन क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन जारी की जा सकती है ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन से अधिकारी प्राधिकृत हैं ? (घ) छतरपुर जिले में किन-किन अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में राजस्व विभाग तथा वन विभाग के वन क्षेत्रों/वन भूमियों के संबंध में किस-किस क्षेत्र में पर्वेक्षण या उत्खनन हेतु अनुमतियां जारी की है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित जिले में वन भूमि पर स्वीकृत खनिपटटों / उत्खनिपट्टों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** में दर्शित है । (ख) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर है । (ग) जी हाँ । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के पालन उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन अनुमति जारी की जा सकती है । इस हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्राधिकृत है । (घ) प्रश्नाधीन अवधि में वन भूमि / वन क्षेत्रों पर स्वीकृत खनिपट्टों / उत्खनिपट्टों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** में तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** में दर्शित है ।

30 वर्षों की सेवाकाल उपरांत तृतीय समयमान वेतन

54. **(क्र. 1423) श्री तरूण भनोत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितंबर 2014 के अंतर्गत सभी विभागों के कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवाकाल पश्चात् तृतीय समयमान वेतन दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) क्या इस योजना का लाभ कुछ विशिष्ट संवर्गों तक ही सीमित है एवं क्या इस योजना में शिक्षा संवर्ग के शासकीय सेवकों को शामिल किया जाना प्रस्तावित हैं ? (ग) यदि हाँ, तो प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्षों की सेवाकाल पूर्ण कर चुके शिक्षक संवर्ग को इस योजना का लाभ कब तक दे दिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ 11-1/2008/नियम/चार दिनांक 24-1-2008 अनुसार लागू समयमान योजना को ही विस्तारित किया गया है । (ख) तथा (ग) जी नही । इस योजना का लाभ सामान्य रूप से सभी संवर्गो को लागू है परन्तु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 की कंडिका 3 के अनुसार राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजनान्तर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी परन्तु ऐसे संवर्गो को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिये मंत्रि-परिषद आदेश पृथक से प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे ।